UPGK010008242022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2/

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थितः नितिन कुमार ठाकुर (एच०जे०एस०)

सत्रवाद संख्या- 222/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन

बनाम

1. हरिश पुत्र इन्द्रपाल

निवासी- हासिमपुरा, थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर।

हाल मुकाम- **C/O** सुबाष प्रजापति निवासी ग्राम जगदीशपुर भलुआन, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर।

2. सुबाष पुत्र भोला

3. जयन्ती देवी पत्नी सुबाष

निवासीगण- ग्राम जगदीशपुर भलुआन, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर।

........अभियुक्तगण

प्राथमिकी संख्या	324/2021
घटना दिनांक व समय	20.08.2021, रात्रि 11:30 बजे
प्राथमिकी दिनांक व समय	21.08.2021, 18:32 बजे
थाना	गगहा
धारा	302/34,323/34,307/34,504, 452/34,394/34,120**B** भारतीय दण्ड संहिता 1860 संक्षिप्तः भा0द0सं0
आरोप पत्र समर्पित दिनांक	20.11.2021
आरोप पत्र प्रसंज्ञान दिनांक	25.11.2021

आरोप विरचन दिनांक	01.08.2022
निर्णय दिनांक	07.08.2026
सजा पर सुनवाई एवं आदेश	07.08.2026

एवं

UPGK010081682022

सत्रवाद संख्या– 1559/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन

बनाम

राजन तिवारी पुत्र स्व0 रामअशीष तिवारी

निवासी– टाड़ा, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

........अभियुक्त

प्राथमिकी संख्या	324/2021
घटना दिनांक व समय	20.08.2021, रात्रि 11:30 बजे
प्राथमिकी दिनांक व समय	21.08.2021, 18:32 बजे
थाना	गगहा
धारा	302/34,323/34,307/34,504, 452/34,394/34,120**B** भारतीय दण्ड संहिता 1860 संक्षिप्ततः भा0द0सं0
आरोप पत्र समर्पित दिनांक	10.08.2022
आरोप पत्र प्रसंज्ञान दिनांक	18.08.2022
आरोप विरचन दिनांक	19.09.2022
निर्णय दिनांक	07.08.2026
सजा पर सुनवाई एवं आदेश	07.08.2026

एवं

UPGK010121872023

सत्रवाद संख्या– 2537/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

........अभियोजन

बनाम

हरिश पुत्र इन्द्रपाल
निवासी– ग्राम हासिमपुरा, थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर।

........अभियुक्त

प्राथमिकी संख्या	337/2021
घटना दिनांक व समय	02.09.2021, 02:15 बजे
प्राथमिकी दिनांक व समय	02.09.2021, 04:40 बजे
थाना	गगहा
धारा	3/25 आयुध अधिनियम
आरोप पत्र समर्पित दिनांक	30.09.2021
आरोप पत्र प्रसंज्ञान दिनांक	19.10.2021
आरोप विरचन दिनांक	07.11.2023
निर्णय दिनांक	07.08.2026

<u>निर्णय</u>

1. उपरोक्त **सत्रवाद संख्या–222/2022 एवं सत्रवाद संख्या–1559/2022** एक हस्तलिखित तहरीर में अंकित घटनाक्रम से जनित प्राथमिकी जो कि एफ.आई.आर. नं० 324/2021 थाना गगहा, जिला गोरखपुर पर **दिनांक 21.08.2021** को अपराध अंतर्गत धारा 323, 504, 452, 307, 394, 120B भा0द0सं0 के तहत पंजीकृत हुई थी, से उदभूत हुआ है एवं **सत्रवाद संख्या–2537/2023**, एक हस्तलिखित फर्द बरामदगी में अंकित घटनाक्रम से जनित प्राथमिकी जोकि एफ.आई.आर. नं० 337/2021 थाना गगहा, जिला गोरखपुर पर **दिनांक 02.09.2021** को अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई थी, से उदभूत हुआ है। तीनों ही मामले एक ही आपराधिक घटनाक्रम से जुड़े है अतएव सहूलियत एवं निर्णय में भिन्नता न हो इस बात के दृष्टिगत तीनों मामलों से संबंधित परीक्षण अभियोजन के आग्रह पर न्यायालय द्वारा साथ–साथ किया गया।

2. उक्त एफ.आई.आर. नं० 324/2021 जोकि **<u>सत्रवाद संख्या–222/2022 एवं सत्रवाद संख्या–1559/2022</u>** का आधार है। इस मामले के शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक **20.08.2021** को घटित घटना के संबंध में संबंधित पुलिस को दी गयी एक हस्तलिखित तहरीर पर आधारित है, उक्त तहरीर में उल्लिखित तथ्य शब्दशः निम्न प्रकार हैः

> "निवेदन है कि प्रार्थी राजीव नयन सिंह पुत्र टिकोरी सिंह ग्राम व पो० जगदीशपुर थाना गगहा, जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ। कल दिनाक **<u>20.08.2021 को रात्रि 11.30 मिनट</u>** पर **<u>अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था</u>** कि उसी समय **<u>विजय प्रजापति</u>** पुत्र सुबाष व **<u>हरिश</u>** तथा **<u>एक अन्य</u>** व्यक्ति मेरे घर का दरवाजा खटखटाया तथा कई आवाज दी, इसको सुनकर मैं दरवाजा खोला तो विजय प्रजापति अन्दर चले आये तथा मुझे गाली देने लगे। **<u>उसके तुरन्त बाद हरिश अन्दर घुसा दोनों मुझे मारने लगे</u>** तथा यह कहने लगे कि मेरे पिता से क्यों अपना पैसा मांग रहे हो, शोर सुनकर मेरी पुत्री काजल व पत्नी आयी तब तक मेरी पुत्री द्वारा इन लोगों का अपने मोबाईल से विडियो

बनाने लगी। इसपर नाराज होकर विजय प्रजापति ने मेरी लड़की काजल को गोली मार दिया तथा **उसकी मोबाईल व मेरी हाथ की अंगूठी** लेकर फायर करते हुये भागे मैंने विजय प्रजापति व हरिश को पहचान रहा हूँ तथा **तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ, देखने पर पहचान जाउंगा** तथा मेरे घर के **बगल की गली में विजय के पिता सुबाष पुत्र भोला व माता जयन्ती देवी भी भागते हुए दिखाई दी**। सुबाष प्रजापति अपने लड़की की शादी तथा मेरे मकान में कार्य करने के एवज में मुझसे पैसा अपने मजदूरी से अधिक लिये थे, जिसे मैं मांग रहा था। सुबाष उसको टाल मटोल कर रहा था। उसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और ऐसी घटना करायी। गोली की आवाज को सुनकर गाँव के रविन्द्र सिह पुत्र गिरजाशंकर सिंह व **विनोद सिंह** पुत्र सर्वजीत सिंह तथा मोहन पुत्र शंकर व अन्य लोग मौके पर आये तथा **उन लोगों एवं मेरे द्वारा 112 न0 व 108 नम्बर पर फोन किया गया तथा मौके पर 112 न0 की गाड़ी व एम्बुलेन्स** मुझे तथा मेरी बेटी काजल को लेकर जिला अस्पताल गोरखपुर गये तथा वहां प्रथम उपचार करने के बाद बी०आर०डी० मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया तथा मेडिकल कालेज के चिकित्सकों द्वारा मेरी पुत्री को गम्भीर हालत को देखते हुए किंग जार्ज मेडिकल रेफर कर दिया गया। मेरी पुत्री का **ईलाज** किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में चल रहा है।"

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी की सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 21.08.2021 **प्रार्थी राजीव नयन सिंह**

2.3 दिनांक **21.08.2021** को ही समय **18.32 बजे** संबंधित थाने पर **1. विजय प्रजापति 2. हरिश 3. सुबाष 4. जयन्ती देवी 5. एक अन्य व्यक्ति नाम अज्ञात** के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ की गयी और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2021 को **1. हरिश 2. सुबाष 3. जयन्ती देवी** के

विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा–302,323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 का बनना बखूबी पाते हुए आरोप–पत्र तैयार किया गया। जिसे कि संबंधित मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को समर्पित किया गया। जिसपर उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसी दिनांक को आरोप पत्र में उल्लिखित धारा के अपराध का संज्ञान आरोप पत्र में नामित व्यक्तियों **1. हरिश 2. सुबाष 3. जयन्ती देवी** के विरूद्ध लिया।

2.4 संबंधित पुलिस द्वारा दिनांक 10.08.2022 को **4. राजन तिवारी** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा–302,323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 का बनना बखूबी पाते हुए आरोप–पत्र तैयार किया गया। जिसे कि संबंधित मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के समक्ष दिनांक 18.08.2022 को समर्पित किया गया। जिसपर उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसी दिनांक को आरोप पत्र में उल्लिखित धारा के अपराध का संज्ञान आरोप पत्र में नामित व्यक्ति **4. राजन तिवारी** के विरूद्ध लिया। तत्पश्चात् दोनों मामले को अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुए उपार्पण पूर्व अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा सत्र न्यायालय को कर दिया गया। तदोपरांत यह दोनों मामले सत्र न्यायालय, गोरखपुर द्वारा इस न्यायालय को निर्णयन वास्ते अंतरित किया गया।

2.5 पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त एफ.आई.आर. नं० 324/2021 की विवेचना के दौरान ही दिनांक 02.09.2021 को अभियुक्त हरिश की निशानदेही पर तमंचा और गोली बरामद की गई थी जिसका फर्द बरामदगी संबंधित पुलिस द्वारा तैयार किया गया था और उक्त के संबंध में प्राथमिकी पंजीकृत हुआ था जोकि एफ.आई.आर. नं० 337/2021 है और वह **सत्रवाद संख्या–2537/2023** का आधार है।

2.6 उल्लेखनीय रूप से दिनांक 02.09.2021 को संबंधित थाने पर **हरिश** के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ की गयी और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा दिनांक 30.09.2021 को **हरिश कुमार** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट का बनना बखूबी पाते हुए आरोप–पत्र तैयार

किया गया। जिसे कि संबंधित मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को समर्पित किया गया। जिसपर उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसी दिनांक को आरोप पत्र में उल्लिखित धारा के अपराध का संज्ञान आरोप पत्र में नामित व्यक्ति **हरिश कुमार** के विरूद्ध लिया। तत्पश्चात् मामले को **सत्रवाद सं०–222/2022 मु0अ0सं0 324/2021 अन्तर्गत धारा–302 भा0द0सं0** से संबंधित पाते हुए उपार्पण पूर्व अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा सत्र न्यायालय को कर दिया गया। तदोपरांत यह मामला सत्र न्यायालय, गोरखपुर द्वारा इस न्यायालय को निर्णयन वास्ते अंतरित किया गया।

3. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2022 को प्राथमिकी सं० 324/2021 से संबंधित आरोप–पत्र में नामित व्यक्ति **1. हरिश 2. सुबाष 3. जयन्ती देवी** एवं दिनांक 16.09.2022 को आरोप–पत्र में नामित व्यक्ति **राजन तिवारी** तथा दिनांक 07.11.2023 को प्राथमिकी सं० 337/2021 से संबंधित आरोप–पत्र में नामित व्यक्ति **हरिश कुमार** पर लगे अभियोग के संदर्भ में आरोप विरचित किये जाने की प्रक्रिया की गयी।

3.1 पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि **सत्रवाद सं० 222/2022** में उक्त **1. हरिश 2. सुबाष 3. जयन्ती देवी** के विरूद्ध मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2022 को आरोप दण्डनीय अपराध अंतर्गत धारा– **302/34, 323/34, 307/34, 504, 452/34, 394/34, 120B भा0द0सं0** एवं उसी अपराध से संबंधित अन्य **सत्रवाद सं० 1559/2022** में उक्त **राजन तिवारी** के विरूद्ध मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2022 को आरोप दण्डनीय अपराध अंतर्गत धारा– **302/34, 323/34, 307/34, 504, 452/34, 394/34, 120B भा0द0सं0** तथा उक्त **हरिश कुमार** के विरूद्ध **सत्रवाद सं० 2537/2023** में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2023 को आरोप दण्डनीय अपराध अंतर्गत धारा– **3/25 आयुध अधिनियम** के आरोप विरचित किये गये एवं उक्त आरोपों को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था जिनसे कि उन्होंने इन्कार किया था एवं विचारण की माँग की थी अतएव उक्त तीनों सत्रवाद उदभूत हुये।

4. अपने वाद/ पक्ष को सिद्ध करने हेतु **मौखिक साक्ष्य** के रूप में अभियोजन ने **कुल 9 गवाहों** को न्यायालय के समक्ष उपस्थित एवं परीक्षित करवाया है जो निम्नलिखित है–

1. **पी०डब्ल्यू०–1** राजीव नयन सिंह (सूचनाकर्ता) **(चक्षुदर्शी साक्षी)**
2. **पी०डब्ल्यू०–2** उपनिरीक्षक अमित चौधरी (विवेचक)
3. **पी०डब्ल्यू०–3** हेड कांस्टेबल राजन सिंह (प्राथमिकी लेखक)
4. **पी०डब्ल्यू०–4** निरीक्षक अमित कुमार दूबे (विवेचक)
5. **पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
6. **पी०डब्ल्यू०–6** डॉक्टर जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (पोस्टमार्टमकर्ता)
7. **पी०डब्ल्यू०–7** निरीक्षक संदीप कुमार सिंह (विवेचक)
8. **पी०डब्ल्यू०–8** विनोद कुमार सिंह **(चक्षुदर्शी साक्षी)**
9. **पी०डब्ल्यू०–9** सत्यावती देवी (मृतका की माता) **(चक्षुदर्शी साक्षी)**

4.1 अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित **दस्तावेजी साक्ष्य** के रूप में न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है–

क्र० सं०	**दस्तावेजी साक्ष्य**	**प्रदर्श/वस्तु प्रदर्श**	**साबित करने वाला साक्षी**
1.	तहरीर	**प्रदर्श क–1**	**पी०डब्ल्यू०–1** राजीव नयन सिंह (सूचनाकर्ता)
2.	मृत्यु की सूचना	**प्रदर्श क–2**	**पी०डब्ल्यू०–1** राजीव नयन सिंह (सूचनाकर्ता)
3.	पंचायतनामा	**प्रदर्श क–3**	**पी०डब्ल्यू०–1** राजीव नयन सिंह (सूचनाकर्ता)
4.	बयान 164 द0प्र0सं0	**प्रदर्श क–4**	**पी०डब्ल्यू०–1** राजीव नयन सिंह (सूचनाकर्ता)
5.	प्राथमिकी	**प्रदर्श क–5**	**पी०डब्ल्यू०–3** हेड कांस्टेबल राजन सिंह (प्राथमिकी लेखक)
6.	कायमी जी0डी0	**प्रदर्श क–6**	**पी०डब्ल्यू०–3** हेड कांस्टेबल राजन सिंह (प्राथमिकी लेखक)

7.	आरोप–पत्र मु0अ0सं0 324/2021	**प्रदर्श क–7**	**पी०डब्ल्यू०–4** निरीक्षक अमित कुमार दूबे (विवेचक)
8.	कट्टा	**वस्तु प्रदर्श–1**	**पी०डब्ल्यू०–4** निरीक्षक अमित कुमार दूबे (विवेचक)
9.	जिन्दा कारतूस	**वस्तु प्रदर्श–2**	**पी०डब्ल्यू०–4** निरीक्षक अमित कुमार दूबे (विवेचक)
10.	फर्द बरामदगी	**प्रदर्श क–8**	**पी०डब्ल्यू०–4** निरीक्षक अमित कुमार दूबे (विवेचक)
11.	नक्शा नजरी	**प्रदर्श क–9**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
12.	फर्द	**प्रदर्श क–10**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
13.	खून आलूदा मिट्टी	**वस्तु प्रदर्श–3**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
14.	सादी मिट्टी	**वस्तु प्रदर्श–4**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
15.	फर्द	**प्रदर्श क–11**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
16.	खोखा कारतूस	**वस्तु प्रदर्श–5**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
17.	फर्द एक अदद गमछा	**प्रदर्श क–12**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
18.	गमछा	**वस्तु प्रदर्श–6**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)

19.	फर्द टी–शर्ट, लोवर	**प्रदर्श क–13**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
20.	लोवर टी–शर्ट	**वस्तु प्रदर्श–7**	**पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक)
21.	शव–विच्छेदन आख्या	**प्रदर्श क–14**	**पी०डब्ल्यू०–6** डॉक्टर जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (पोस्टमार्टमकर्ता)
22.	आरोप–पत्र अभियुक्त राजन तिवारी	**प्रदर्श क–15**	**पी०डब्ल्यू०–7** निरीक्षक संदीप कुमार सिंह (विवेचक)
23.	एफ०एस०एल० रिपोर्ट	**पार्ट एन 103622**	–

5. अभियुक्तगण को उनपर लगाये गये आरोपों एवं उनके विरूद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जोकि अभियोजन ने प्रस्तुत किये पर अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया एवं इस संदर्भ में अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० विभिन्न प्रश्नोत्तर माध्यम से अंकित किये गये। उक्त कथन **अंतर्गत धारा 313 में कुल 31–31 प्रश्न** अभियुक्त से पूछे गये जिनके उत्तर में अभियुक्तगण ने उनपर लगे अभियोग को गलत व झूठा बताया गया साथ ही सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अभिकथन किया है। उल्लेखनीय रूप से प्रश्न सं० 29 जिसमें यह पूछा गया है कि आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला, अभियुक्त हरिश ने उत्तर दिया है कि पुलिस की साजिश से फसाया गया है क्योंकि उसके विरूद्ध थाना गगहा में अन्य मुकदमे में चालान हुआ था। अभियुक्त हरिश के इस कथन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त हरिश आपराधिक पृष्ठभूमि थी। उल्लेखनीय प्रश्न सं० 31 जिसमें यह पूछा गया है कि क्या आपको कुछ और कहना है, अभियुक्त हरिश ने उत्तर दिया है कि कथित घटना दिनांक 20.08.2021 की रात 10 बजे वह और उसकी पत्नी लखनऊ से नौचंदी एक्सप्रेस नं 14511 से सहारनपुर जा रहे थे। साथ ही साथ अभियुक्त हरिश ने यह भी अभिकथित किया है कि दिनांक 31.08.2021 को हरिद्वार एक मुकदमे में सरेंडर करने जाते समय थाना क्षेत्र बहादराबाद के पास उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसे

गोरखपुर ले आया गया तथा उसका मोबाईल सिम सहित ले लिया गया तथा उसका सिम निकाल लिया गया, कभी बरामदगी नहीं हुई थी। **इस प्रकार से अभियुक्त हरिश द्वारा अली बाई का प्ली लिया गया है।** उल्लेखनीय रूप से प्रश्न सं० 29 जिसमें यह पूछा गया है कि आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला, अभियुक्त राजन तिवारी ने उत्तर दिया है रंजिशन। जबकि अभियुक्त राजन तिवारी ने इस संबंध में कि उसकी क्या रंजिश सूचनाकर्ता राजीव नयन से थी कोई भी तथ्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। विशेषकर अभियुक्त राजन तिवारी द्वारा अपने धारा 313 द०प्र०सं० के बयान में अभियोजन कथानक को सीधे सीधे गलत और मनगढंत बताया है। अभियुक्त सुबाष और जयन्ती ने भी अपने कथन अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक को सीधे सीधे गलत और उन्हें झूठा फसाया जाना बताया है। उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त हरिश की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी सं० 335/2018 थाना गगहा, गोरखपुर अन्तर्गत धारा 392 भा०द०सं० की सत्यप्रति प्रस्तुत की है।

6. दोनों पक्षों द्वारा रखे गये तर्क–

6.1 अभियोजन की तरफ से **विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रिमिनल) श्री रामप्रकाश सिंह** एवं **वादी/पीड़ित के विद्वान अधिवक्ता श्री के० एम० शाही** ने न्यायालय के समक्ष संवेत स्वर में यह तर्क पुरजोर तरीके से रखा कि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को पूर्ण रूप से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है और इस हेतु अभियोजन द्वारा कुल 9 गवाहों को तथा विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया है। अभियोजन के द्वारा अग्रेतर यह तर्क रखा गया कि अभियोजन का मामला चक्षुदर्शी साक्षीगणों के अखण्डित साक्ष्य तथा उसके द्वारा परीक्षित कराये गये औपचारिक गवाह जिनमें विभिन्न विवेचक एवं चिकित्सक शामिल हैं के आधार पर साबित किया है। अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह अग्रेतर तर्क रखा गया कि घटना दिनांक 20.08.21 के रात्रि 11.30 बजे तीन व्यक्ति जिनमें विजय प्रजापति, हरिश और एक अज्ञात जिनकी पहचान विवेचना के दौरान राजन तिवारी के रूप में हुई इस मामले के वादी राजीव नयन सिंह के घर प्रवेश करते है और उनके द्वारा राजीव नयन सिंह को मारा पीटा जाता है और जब राजीव नयन सिंह की पुत्री और पत्नी आती है और उनकी पुत्री के द्वारा उस समय के

घटनाक्रम का जब वीडियो बनाया जा रहा था अभियुक्त राजन तिवारी के कहने पर उक्त विजय प्रजापति ने न केवल राजीव नयन सिंह की पुत्री से मोबाईल छीन लिया गया वरन् उसके द्वारा राजीव नयन सिंह की पुत्री को पेट में गोली मार दी गई जिससे अस्पताल में ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह **पी०डब्ल्यू०–1** और उसकी पत्नी सत्यावती **पी०डब्ल्यू०–9** तथा एक स्वतंत्र साक्षी विनोद सिंह **पी०डब्ल्यू०–8** ने इस सम्पूर्ण घटनाक्रम के संबंध में न्यायालय में अकाट्य साक्ष्य दिया है। डॉक्टर जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव **पी०डब्ल्यू०–7** ने जिन्होंने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया था ने ओपिनियन दिया है कि मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व गोली लगने से आयी चोट से हुई थी साथ ही घटनास्थल पर विवेचना के दौरान पुलिस को एक पीतल का खोखा मिला था इससे उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगणों के साक्ष्य की संपुष्टि होती है। उल्लेखनीय रूप से विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल द्वारा यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा गया कि अभियुक्त हरिश ने हालांकि मृतका पर गोली नहीं चलाई थी किन्तु वह अन्य दो हमलावरों के साथ था और सूचनाकर्ता **पी०डब्ल्यू०–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि हरिश द्वारा उसे हाथ से मारा गया था ऐसे में तब जबकि विजय प्रजापति द्वारा अभियुक्त राजन तिवारी के कहने पर मृतका को गोली मारी गई थी और उक्त हरिश उनके साथ उक्त कृत में शामिल था अतएव उसके विरूद्ध धारा 34 भा०द०सं० में प्रावधानित सामान्य आशय का सिद्धांत स्पष्ट रूप से आकर्षित होता है और उल्लेखनीय रूप से तब जबकि उक्त सभी अभियुक्तगण रात्रि 11.30बजे सूचनाकर्ता के घर जाते है और मार पीटाई करते हैं और गोली बारी भी होती है तब ऐसे में जो परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दिख रही है कि अर्ध्दरात्रि के समय किसी के घर जाकर उक्त घटना को अंजाम दिया जाता है तब ऐसे में अभियुक्त हरिश के संदर्भ में अलग से उसके द्वारा कृत अपराध हेतु नहीं दण्डित किया जा सकता अपितु उसे उक्त तीनों के द्वारा जो सामूहिक रूप से कृत किया गया उस हेतु अभियुक्त हरिश को भी दण्डित किया जाना चाहिए वह इस बात का लाभ नहीं ले सकता कि उसने तो बस थप्पड़ मारा था। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल के द्वारा न्यायालय के समक्ष अग्रेतर तर्क रखा गया कि इस मामले में अभियोजन ने इसे समुचित तरीके से साबित किया है कि तीसरे अज्ञात अभियुक्त जोकि घटना समय पर घटनास्थल पर था कि पहचान क्या थी। अभियोजन ने अभियुक्त राजन तिवारी के संदर्भ में युक्तियुक्त तरीके से पहचान संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। श्री सिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष अग्रेतर तर्क रखा गया कि अभियोजन ने अभियुक्त सुबाष और

जयन्ती के विरूद्ध भी समुचित साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जो उनकी इस मामले में संलिप्तता को साबित करता है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने न्यायालय के समक्ष अग्रेतर तर्क रखा कि अभियुक्त हरिश की निशानदेही पर पुलिस द्वारा एक तमंचा और एक जिन्दा कारतूस बरामद किया था और जिस संबंध में आयुध अधिनियम के तहत अपराध का सृजन हुआ था और परीक्षण भी हुआ जिसमें अभियोजन ने इस संदर्भ में आवश्यक तथ्यों को और अपेक्षाओं को साबित एवं पूर्ण किया है। उक्त तर्क के साथ विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने न्यायालय से आग्रह किया कि अभियोजन को अपने कथानक जिसके आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध विभिन्न आरोप विरचित हुए थे को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है चूंकि इस मामले का महत्वपूर्ण किरदार विजय प्रजापति की मृत्यु हो चुकी है अतएव शेष सभी चार अभियुक्तगणों को उनके द्वारा कारित की गई अपराध हेतु युक्तियुक्त दण्ड दिया जाये।

6.2 उक्त के विपरीत **अभियुक्त हरिश** के **विद्वान अधिवक्ता श्री पी०डी० सिंह** ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि अभियोजन ने हरिश को पूर्ण रूप से झूठे और गलत तरीके से इस मामले में फसा दिया गया है। अभियुक्त हरिश सहारनपुर का रहने वाला है और ऐसे में जिस प्रकार से इस मामले के सूचनाकर्ता और उसकी पत्नी के द्वारा उसे पहचानना बताया गया है वह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी रखा गया कि पुलिस ने जिस प्रकार से अभियुक्त हरिश की गिरफ्तारी की और उससे कथित असलहे की बरामदगी की वह किसी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन द्वारा जो मुकदमा आयुध अधिनियम का अभियुक्त हरिश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है उस मुकदमे को अभियोजन द्वारा पूर्ण रूप से साबित नहीं किया गया है, न ही उस स्थान से संबंधित जहां से असलहे की बरामदगी बतायी जा रही है नक्शा नजरी को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है और न ही डी०एम० की संस्तुति को न्यायालय के समक्ष अभियोजन ने साबित किया है ऐसे में अभियुक्त हरिश को उसके विरूद्ध विरचित आरोप 3/25 आयुध अधिनियम जोकि सत्र परीक्षण सं० 2537/2023 से संबंधित है में दोषमुक्त किया जाये। श्री सिंह के द्वारा अग्रेतर तर्क रखा गया कि यदि अभियुक्त हरिश की घटनास्थल पर उपस्थिति मान भी ली जाये तब भी सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित अपराध के सिद्धांत जोकि धारा 34 भा०द०सं० में निहित है के तहत उसे हत्या जैसे जघन्य अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा

सकता। पत्रावली पर यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध है कि हरिश नाम के व्यक्ति ने सूचनाकर्ता को हाथ से मारा था अतएव अभियुक्त हरिश को उसके विरूद्ध विरचित विभिन्न आरोपों के संदर्भ में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

6.2.3 अभियुक्त **राजन तिवारी** की ओर से **विद्वान अधिवक्ता ईशान द्विवेदी** ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि अभियुक्त राजन तिवारी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने झूठे रूप से अभियुक्त राजन तिवारी को इस वर्तमान मामले में जिसमें अज्ञात अभियुक्त हेतु पुलिस खाख छान रही थी ने जानबूझकर अभियुक्त राजन तिवारी को इस मामले से संबद्ध कर दिया। श्री द्विवेदी द्वारा न्यायालय के समक्ष अग्रेतर तर्क रखा गया कि अभियुक्त राजन तिवारी के संदर्भ में सम्पूर्ण मामला उसकी पहचान को लेकर है कि किस प्रकार से सूचनाकर्ता और उसकी पत्नी के द्वारा राजन तिवारी को पहचान लिया गया और पुलिस ने अनुपूरक आरोप–पत्र प्रस्तुत कर दिया। राजन तिवारी के संदर्भ में पहचान हेतु पुलिस द्वारा न ही कोई टी.आई. परेड कराया गया और न ही उसकी शिनाख्तगी न्यायालय के समक्ष सूचनाकर्ता या उसकी पत्नी से कराया गया जो कुछ भी पत्रावली उपलब्ध है वह एक फोटो है जिसमें दिखाये गये सभी व्यक्तियों के मुख पर मास्क है ऐसे में यह प्रश्न पूर्ण रूप से अनुत्तरित है कि सूचनाकर्ता या उसकी पत्नी के द्वारा अभियुक्त राजन तिवारी को कैसे पहचान लिया गया। अपने संक्षिप्त तर्क में श्री द्विवेदी ने न्यायालय से अभियुक्त राजन तिवारी की दोषमुक्ति हेतु आग्रह किया।

6.2.4 अभियुक्त **सुबाष व जयन्ती** की ओर से उनके **विद्वान अधिवक्ता श्री यशवन्त सिंह** ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क पुरजोर तरीके से रखा कि यह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है कि सूचनाकर्ता द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को घटना के बाद गली से भागते हुए देखा गया क्योंकि यह सामान्य मानवीय व्यवहार है कि जब किसी की बेटी को उसके सामने गोली मारा जायेगा तब वह अपने बेटी को न देखकर घर के बाहर जायेगा और देखेगा कि कौन भाग रहा है। श्री सिंह के द्वारा अग्रेतर तर्क रखा गया कि जो कुछ भी घटनाक्रम उक्त अभियुक्तगणों के संदर्भ में सूचनाकर्ता और उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया है वे सभी घटनाएं इस वर्तमान घटना से पहले का है जिस हेतु अभियुक्तगणों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उक्त अभियुक्तगणों को न ही धारा 34

भा०द०सं० में निहित सिद्धांत को आकर्षित करते हुए मामले में संलिप्त किया जा सकता है और न ही आपराधिक षड़यंत्र हेतु उन्हें दोषी कहा जा सकता है क्योंकि स्वीकृत रूप से उक्त दोनों अभियुक्तगण घटनास्थल पर नहीं थे और जहां तक आपराधिक षड़यंत्र की बात है उसे साबित करने हेतु अभियोजन ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस मामले के सभी अभियुक्तगणों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड और गुप्त सांठ गांठ के संदर्भ में एक भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतएव सिर्फ इस बात से की सूचनाकर्ता ने कहा है कि घटना की रात उक्त दोनों अभियुक्तगणों को कथित घटना के बाद भागते हुए देखा गया अभियोजन कथानक को इन दोनों अभियुक्तगणों के सापेक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ नहीं माना जा सकता अतएव अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

7. निश्चयन बिन्दू

मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस वर्तमान मामले में निम्नलिखित **निश्चयन बिन्दू** बनाया जाना समीचीन समझती है–

क. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 302/34 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

ख. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 323/34 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

ग. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 307/34 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

घ. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

ड़. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 452/34 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

च. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 394/34 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

छ. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित

आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 120B के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

ज. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्त हरिश ने उसके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

निर्णय– विश्लेषण के अनुसार।

झ. अभियुक्तगण की दोषसिद्धी की दशा में उसपर अधिरोपित सजा?

निर्णय– अंतिम आदेश के अनुसार।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की मुख्य परीक्षा मामले की विशिष्टता के दृष्टिगत निम्नलिखित रूप से हूबहू अंकित की गयी हैः–

8.1 साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 राजीव नयन सिंह** जोकि इस मामले के सूचनाकर्ता/ वादी मुकदमा है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 20.08.2021 के समय 11.30 बजे रात की है। मैं घर में सो रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक दी गयी तो मैं उठा और घर का दरवाजा खोला तो विजय मेरे घर के अन्दर आये और मुझे मारने लगे इतने में हरिश और राजन भी घर के अन्दर आकर मुझे मारने पीटने लगे। विजय ने मुझे मारने पीटने के बाद कहा कि "आप मेरे पिता से पैसा क्यों मांग रहे हैं?" आवाज सुनकर मेरी पत्नी सत्यावती देवी व पुत्री काजल आयी और अभियुक्तगण को मारने पीटने से मना किया तो सभी उन्हें गाली गलौज देने लगे और मेरी लड़की काजल घटना का वीडियो बनाने लगी। यह देख राजन तिवारी ने विजय

से कहा कि मेरी लड़की का मोबाईल छीन लो और अपना पिस्टल विजय को देते हुये गोली मारने को कहा। विजय ने काजल को उसका मोबाईल छीनकर उसके पेट में गोली मार दी। मेरी बेटी काजल को गोली मारकर तीनों अभियुक्तगण विजय, हरिश और राजन हवायी फायर करते हुए एक सफेद रंग की मोटर साईकिल से भाग गये। भागते हुये विजय मेरे हाथ की अंगुली से सोने की अंगूठी भी निकाल ले गया। शोरगुल पर अलग–बगल के लोग मेरे घर पर आ गये। 108 नं0 व 112 नं0 पर फोन किया गया। 112 नं0 की पी0आर0बी0 वैन तुरन्त आ गयी, उसमें अपनी बेटी काजल को मैं, मेरी पत्नी और गाँव का ही संदीप वैन पर लाद कर ले जा रहे थे इतने में 108 नं0 की एम्बुलेंस भी आ गयी तब मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाला गया और हम लोग उसे जिला अस्पताल, गोरखपुर ले कर आये। प्राथमिक ईलाज करने के तुरन्त बाद मेरी बेटी काजल को जिला अस्पताल से बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में काजल की स्थिति को देखते हुए उसे पुनः के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर, लखनऊ हेतु रेफर कर दिया गया। हम लोग काजल को लेकर के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर लखनऊ दिनांक 21.08.2021 को सुबह 9.14 पर पहुँचे, वहां उसका ईलाज शुरू हुआ। काजल का ईलाज के दौरान दिनांक 25.08.2021 को मृत्यु हो गई। मृत्यु उस दिन सुबह 6.45 पर हो गई थी। दिनांक 21.08.2021 को शाम में लखनऊ से गोरखपुर वापस आया तथा लगभग 6 बजे शाम के बाद थाना गगहा पर पहुँचकर अपनी तहरीर थाने पर दी। तहरीर कागज सं0 5क पत्रावली में संलग्न है जिसके हस्तलेख और हस्ताक्षर को देख साक्षी ने उसकी पहचान की जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया अपनी बेटी काजल का दिनांक 25.08.2021 को अंतिम संस्कार मुक्तिपथ बड़हलगंज में किया तथा थाने पर उसके मृत्यु की सूचना दी। मृत्यु की सूचना लिखित में दी गई थी। उक्त सूचना पत्रावली में कागज सं0 7क संलग्न है जो मेरे हस्तलेख और हस्ताक्षर में है जिसपर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। सूचना के उपरांत अपराध अंतर्गत धारा 302 भा0द0सं0 तरमीम की गयी। अभियुक्त विजय प्रजापति के पिता सुबाष मेरे मुहल्ले के ही रहने वाले है, इनके दोनों लड़कियों की शादी में मैंने उन्हें आर्थिक मदद किया था। मैं सन् 2021 में ही घटना के पूर्व गोरखपुर शहर में अपना घर बनवा रहा था तथा सुबाष को बतौर मेट घर बनवाने की जिम्मेदारी दे रखा था। घर बनाने में होने वाले खर्च मैं समय समय पर सुबाष को देता रहता था, जब मैंने पैसे का हिसाब किया तो सुबाष के पास मेरा मु0 तेहह हजार रूपया निकल रहा था। मैंने सुबाष से उक्त राशि मांगी

पर वे आना कानी करने लगे। उसके बाद सुबाष की पत्नी जयन्ती देवी मेरी पत्नी सत्यावती से मिलकर मेरे गोरखपुर स्थित निर्माणाधीन मकान की चाबी उसे वापस कर दी और कहा कि मैं बकाया पैसा नहीं दूंगी। दिनांक 15.08.2021 को जब मैं झण्डा रोहण कर बांसगाँव न्यायालय से अपने घर वापस आ रहा था, तो मेरे गाँव के बाहर सुबाष अपनी पत्नी जयन्ती व कई अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे और मुझे देखते ही जयन्ती ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया, तब मैं स्थिति को देखते हुए अपना रास्ता बदलकर अपने घर गया। दिनांक 21.08.2021 के घटना के बाद सुबाष और जयन्ती को भी मैंने अपने घर के गली से भागते हुए देखा था। घटना के संबंध में दरोगा जी ने कई बार मेरा बयान लिया था तथा पूछताछ किया था। दिनांक 25.08.2021 को समय 11.05 ए.एम. पर के0जी0एम0यू0 लखनऊ के शवगृह में लखनऊ की स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी की गयी। पंचायतनामा शामिल मिसिल कागज सं0 12क/1 पर अन्य पंचों के साथ मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया है जिसकी मैं पहचान करता हूँ कागज सं0 12क/1 पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया।

8.2 पी०डब्ल्यू० 2 उपनिरीक्षक अमित चौधरी जोकि इस मामले के विवेचक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 21.08.21 को मैं थाना गगहा में एस.आई. के पद पर तैनात था। उसी दिन मुझे विवेचना मिली पर्चा न0 1 मु0अ0सं0 324/2021 धारा 323,504,506,452,307,394,120B भा0द0सं0 थाना गगहा की घटना दिनांक 20.08.21 समय 11.30 बजे रात की है। दिनांक 21.08.21 को मुकदमा पंजीकृत होकर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुझे सुपुर्द हुई। दिनांक 21.08.21 को नकल चिक, नकल रपट का पर्चा काटा व उक्त एफ.आई.आर. लेखक कां0 राजन सिंह का बयान अंकित किया तथा उसी दिन बयान वादी श्री राजीव नयन सिंह पुत्र टिकोरी सिंह का घटना के बारे में पूछताछ कर बयान अंकित किया। उसी दिन अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दी गई परन्तु कोई अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पायी क्योंकि मुल्जिमान घटना घटित करने के बाद फरार हो गये थे।

8.3 पी०डब्ल्यू० 3 हेड कांस्टेबल राजन सिंह जोकि इस मामले के प्राथमिकी लेखक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 21.08.21 को थाना गगहा

पर कार्यालय में बतौर कांस्टेबल मुंशी के पद पर तैनात था। उसी दिन दिनांक 21.08.21 को वादी राजीव नयन सिंह पुत्र स्व0 टिकोरी सिंह ग्राम पोस्ट जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा के प्रार्थना–पत्र पर मु0अ0सं0 324/21 अन्तर्गत धारा 323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जो कम्प्यूटर पर टाईप किया जिसपर हस्ताक्षर थाना प्रभारी अमित कुमार दूबे का तथा मैं अपने तहरीर टाईप करने के अंत में कागज सं 4क/1 से 4क/3 तक है टाईप के अंश में मेरा नाम लिखा गया। उपरोक्त कागज मेरे द्वारा टाईप किया गया जिसपर **प्रदर्श क–5** डाला गया तथा कागज सं 5क तहरीर प्रार्थना–पत्र है जिसके पृष्ठ भाग पर मेरा हस्ताक्षर व मुहर है अपने हस्ताक्षर पुष्टि करता हूँ जिसपर प्रदर्श क–1 दिनांक 12.11.22 को पड़ा है। कागज सं0 6क पत्रावली पर है रोजनामचा दिनांक 21.08.2021 समय 18.32 मिनट रपट सं0 47 मु0अ0सं0 324/21 धारा 323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 मेरे द्वारा कम्प्यूटर से लिखा गया है जो मेरे द्वारा ही कम्प्यूटर से टाईप किया गया है जिसपर मेरा नाम राजन सिंह लिखा गया जिसपर थाने की मुहर लगी है। गवाह ने देखकर कहा कि उपरोक्त रोजनामचा सं0 47 मेरे द्वारा ही कायम किया है जिसको गवाह ने देखकर कहा कि मेरे ही द्वारा कम्प्यूटर सी.सी.टी.एन.एस. कम्प्यूटर में जी0डी0, एफ.आई.आर. अंकित किया गया है जिसपर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

8.4 पी०डब्ल्यू० 4 निरीक्षक अमित कुमार दूबे जोकि इस मामले के विवेचक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि मैं थाना गगहा पर माह मई 2021 में ज्वाइन किया था। उसी दौरान दिनांक 26.08.21 को विवेचना मुझे प्राप्त हुई। मुकदमा अपराध सं0 324/2021 धारा 302,323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 में मुझे विवेचना प्राप्त हुई। दिनांक 26.08.21 को प्राप्त हुई। मुझे उ0नि0 प्रभात सिंह द्वारा विवेचना प्राप्त हुई। जिसमें पूर्व के पर्चा नं0 1,2,3,4 व 5 का अवलोकन किया तथा पर्चा नं0 6 में उपरोक्त पर्चों का अवलोकन किया तथा मजीद बयान वादी मुकदमा राजीव नयन सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती सत्यावती देवी का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं0 7 दिनांक 30.08.21 को मैं अभियक्ता जयन्ती देवी की गिरफ्तारी अंकित किया गया। पर्चा नं0 18 दिनांक 08.09.21 को वादी राजीव नयन सिंह का बयान हेतु अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 का प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में

प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 राजीव नयन सिंह का बयान का अवलोकन किया। पर्चा नं0 12 दिनांक 02.09.21 को किया गया, मुल्जिम हरिश की गिरफ्तारी व बरामदगी की गयी। बयान मुल्जिम हरिश पुत्र इन्द्रपाल का अंकित किया गया। पर्चा नं0 19 दिनांक 10.09.21 को मुकदमे से संबंधित मुल्जिम विजय प्रजापति मुठभेड़ में मारा गया। फर्द का अवलोकन किया गया, नकल रपट का अवलोकन किया गया। मुल्जिम विजय प्रजापति (मृतक) की पंचायतनामा नायब तहसीलदार सदर श्री राधेश्याम गुप्ता द्वारा की गई। पर्चा नं0 20 दिनांक 13.09.21 में अभियुक्त सुबाष प्रजापति पर एन0बी0डब्ल्यू0 तामील कराया गया तथा दबिश दी गई। पर्चा नं0 21 दिनांक 15.09.21 को मुल्जिम सुबाष प्रजापति के तलाश के लिए दबिश दी गई। पर्चा नं0 22 दिनांक 19.09.21 को मुल्जिम सुबाष प्रजापति की गिरफ्तारी व बयान अंकित किया गया। पर्चा नं0 23 दिनांक 19.09.21 को ही तैयार किया गया जिसमें मुल्जिम सुबाष प्रजापति के रिमांड के लिए प्रतिवेदन माननीय न्यायालय को दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.21 से 21.09.21 तक रिमांड न्यायिक अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया। पर्चा नं0 24 दिनांक 21.09.21 मुल्जिम सुबाष प्रजापति का 14 दिवस हेतु रिमांड के लिये प्रतिवेदन किया गया। पर्चा नं0 25 दिनांक 21.09.21 को किता किया गया जिसमें मुल्जिम सुबाष प्रजापति को 14 दिवस रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.21 से 29.09.21 तक रिमांड स्वीकृत किया गया। पर्चा नं0 26 दिनांक 29.09.21 में मुल्जिम सुबाष प्रजापति के लिये 14 दिवस का रिमांड के लिये प्रतिवेदन किया गया। पर्चा नं0 27 दिनांक 29.09.21 को मुल्जिम सुबाष प्रजापति का 14 दिवसीय रिमांड दिनांक 29.09.21 से 13.10.21 तक स्वीकृत किया गया। पर्चा नं0 28 दिनांक 08.10.21 को अभियुक्ता जयन्ती देवी के रिमांड 14 दिवस हेतु प्रतिवेदन दिया गया। पर्चा नं0 29 दिनांक 18.10.21 को मुल्जिम जयन्ती देवी का 14 दिवसीय रिमांड दिनांक 08.10.21 से 22.10.21 तक रिमांड स्वीकृत किया गया। पर्चा नं0 30 दिनांक 13.10.21 को अभियुक्त सुबाष प्रजापति व मुल्जिम हरिश का रिमांड जबकि समाप्त होने के कारण दिनांक 13.10.21 से 14 दिवसीय रिमांड करने हेतु प्रतिवेदन किया गया। पर्चा नं0 31 दिनांक 13.10.21 को अभियुक्त सुबाष प्रजापति, हरिश व जयन्ती देवी का 14 दिवसीय रिमांड दिनांक 22.10.21 तक स्वीकृत किया गया। पर्चा नं0 32 दिनांक 22.10.21 को मुल्जिम हरिश, सुबाष व जयन्ती देवी का रिमांड 14 दिवसीय

स्वीकृत हेतु प्रतिवेदन दिया गया। पर्चा नं0 33 दिनांक 22.10.21 को मुल्जिम हरिश, सुबाष, जयन्ती देवी का 14 दिवसीय रिमांड स्वीकृत किया गया। पर्चा नं0 34 दिनांक 02.11.21 को मुल्जिम हरिश, सुबाष, जयन्ती देवी का 14 दिवसीय रिमांड स्वीकृत हेतु प्रतिवेदन दिया गया। पर्चा नं0 35 दिनांक 02.11.21 को मुल्जिम हरिश, सुबाष, जयन्ती देवी का 14 दिवसीय रिमांड स्वीकृत किया गया। पर्चा नं0 36 दिनांक 06.11.21 को **अज्ञात** अभियुक्त के बारे में पतारसी सुरागरसी हेतु मुखबिर खास को हिदायत दी गयी। पर्चा नं0 37 दिनांक 14.11.21 को एक अज्ञात अभियुक्त के बारे में पतारसी व सुरागरसी की गई, न मालूम होने पर मुखबिर खास को हिदायत दी गयी। पर्चा नं0 38 दिनांक 16.11.21 को मुल्जिम हरिश, सुबाष प्रजापति व जयन्ती देवी के 14 दिवसीय रिमांड हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया। पर्चा नं0 39 दिनांक 16.11.21 को मुल्जिम हरिश, सुबाष, जयन्ती का 14 दिवसीय रिमांड दिनांक 16.11.21 से दिनांक 24.11.21 तक स्वीकृत किया गया। पर्चा नं0 40 दिनांक 17.11.21 को हत्या से संबंधित माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला शास्त्री चौक, गोरखपुर विशेष वाहक राकेश कुमार कांस्टेबल द्वारा दाखिल किया गया। दाखिला रसीद का अवलोकन किया गया तथा इनामिया अभियुक्त विजय प्रजापित की पी0एम0 रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया गया। बयान गवाह गिरफ्तारी कां0 राजू पटेल, कां0 रमेश प्रसाद, कां0 मनीष कुमार यादव, महिला कां0 यासिका चौबे, बयान फर्द गवाह अतिरिक्त निरीक्षक रामभवन यादव, बयान फर्द गवाह कां0 दीपू कुंवर, कां0 नन्दलाल गौड़, बयान गवाह उपनिरीक्षक अमित चौधरी का बयान अंकित किया गया तथा मुल्जिम सुबाष प्रजापति के गवाह कां0 विजय यादव, कां0 रमेश प्रसाद का बयान अंकित किया गया तथा अज्ञात मुल्जिम की पतारसी व सुरागरसी किया गया। पर्चा नं0 41 दिनांक 18.11.21 को बयान गवाह फर्द संबंधित मृतक अभियुक्त विजय प्रजापति के गवाह निरीक्षक रामभवन यादव, उपनिरीक्षक अमित चौधरी, कां0 दीपू कुंवर, कां0 विजय यादव, उपनिरीक्षक प्रभात सिंह, कां0 अभिनय कुमार, निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, उपनिरीक्षक सादिक परवेज, उपनिरीक्षक अरूण कुमार सिंह, एच.सी. रामनयन सिंह, एच.सी. शशिकान्त राय, एच.सी. रसीद अकबर, एच.सी. सनातन सिंह, एच.सी. मु0 कुतुबुद्दीन, एच.सी. धर्मेन्द्र नाथ तिवारी, एस.ओ.जी. प्रभारी उपनिरीक्षक चन्द्रभान सिंह, एच.सी. योगेश सिंह, एच.सी. तेज सिंह, एच.सी. जितेन्द्र सिंह, एच.सी. प्रदीप राय, कां0 इन्द्रेश कुमार वर्मा, सर्विलांस टीम प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार व कां0 अजय यादव, प्रभारी

निरीक्षक थाना खोराबार राहुल कुमार सिंह, एच.सी. कौशल यादव, एच.सी. उपेन्द्र यादव, कां0 आशुतोष मिश्रा, कां0 अरविन्द यादव, कां0 नन्दन शर्मा का बयान अंकित किया गया। घटना में शामिल एक अन्य अज्ञात व्यक्ति की तलाश की गयी। पर्चा नं0 42 दिनांक 19.11.21 को घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश की गयी। पर्चा नं0 43 दिनांक 20.11.21 को किता किया गया जिसमें उक्त मुकदमे से संबंधित मुल्जिमान सुबाष पुत्र भोला, जयन्ती देवी पत्नी सुबाष निवासी– जगदीशपुर भलुवान थाना गगहा, गोरखपुर तथा हरिश पुत्र इन्द्रपाल निवासी हासिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302, 323, 504, 452, 307, 394, 120B भा0द0सं0 दिनांक 20.11.21 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया तथा मुकदमे में एक अज्ञात मुल्जिम के विरूद्ध तलाश व पतारसी सुरागरसी करते हुए विवेचना प्रचलित किया गया। पत्रावली के कागज सं0 3क/1 से 3क/20 शामिल है जिसको गवाह ने कहा मेरे द्वारा तैयार किया गया जो कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा मेरे द्वारा बोलकर अंकित कराया गया है जिसपर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है जिसपर **प्रदर्श क–7** डाला गया। साक्षी ने अग्रेतर कहा है कि मु0अ0सं0 337/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना गगहा गोरखपुर, सरकार बनाम **हरिश** आदि के हत्या के संबंध में आर्म्स प्रयोग किया हुआ, आज न्यायालय के समक्ष खोला गया जिसमें एक **कट्टा** 315 बोर तथा एक **जिन्दा कारतूस** आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है तथा न्यायालय के आदेश से खोला गया जो दिनांक 02.09.2021 को मुल्जिम हरिश के निशानदेही पर उपरोक्त कट्टा व कारतूस जिन्दा बरामद किया गया जिसपर कट्टा पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया तथा जिन्दा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज सं0 5क/1 से 5क/3 शामिल है, **फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर का व एक अदद जिन्दा कारतूस** बरामद किया तथा मु0अ0सं0 324/2021 धारा 302,323,504,307,394,452,120B भा0द0सं0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गगहा गोरखपुर का फर्द मैं बोलकर उपनिरीक्षक अमित चौधरी से लिखवाया व पढ़कर सुनाये की तब मैं अपना भी हस्ताक्षर बनाया व मुल्जिम हरिश कुमार का भी हस्ताक्षर मैंने करवाया, मैंने भी स्वयं हस्ताक्षर किया तथा मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–8** डाला गया।

8.5 पी०डब्ल्यू० 5 उपनिरीक्षक प्रभात सिंह जोकि इस मामले के विवेचक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 22.08.21 को मैं गगहा थाना पर तैनात था। उस दिन मैं मु0अ0सं0 324/21 का विवेचना मैं शुरू किया। पर्चा नं0 2 में वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी व घटनास्थल का निरीक्षण किया व नक्शा नजरी उसी दिन तैयार किया जिसका जिक्र पर्चा नं0 2 में किया गया है। गवाहान कृष्ण मोहन मिश्रा व आशुतोष मिश्रा के समक्ष एक अदद गमछा रंग छीटदार जिसपर खून के धब्बे है जिसे गवाहान के समक्ष सील मुहर किया गया तथा उपरोक्त गवाहान का हस्ताक्षर बनवाया तथा फर्द तैयार किया गया तथा उसी दिन घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी समक्ष गवाहान रविन्द्र सिंह व दिव्यांश मिश्रा के समक्ष सील मुहर किया तैयार किया गया तथा हस्ताक्षर फर्द पर बनवाया गया तथा उसी दिन घटनास्थल से **एक अदद खोखा कारतूस पीतल का जिसके पेदें पर K.F.65 अंकित है** गवाहान चन्द्रशेखर मिश्रा व विवेक पाण्डेय के सामने फर्द तैयार किया गया जिसपर गवाहान का हस्ताक्षर बनवाया गया तथा समक्ष गवाहान सील मुहर किया गया तथा फर्द गवाहान चन्द्र प्रकाश मिश्रा द्वारा कहे जाने पर बता रहे हैं कि दिनांक 22.08.21 को थाना गगहा के दरोगा ने श्री राजीव नयन सिंह का लोवर व टी–शर्ट जिसपर खून के धब्बे लगे थे उसको वे अपने कब्जे में लिये, कब्जा लेते समय गवाह सुनील गौड़ के समक्ष ये सील मुहर किया व दोनों गवाहों से फर्द पर हस्ताक्षर बनवाया गया तथा बयान भी अंकित किया गया। बयान फर्द गवाह कृष्ण मोहन मिश्रा पूछने पर बता रहे है कि दिनांक 22.08.21 को थाना गगहा के दरोगा जी द्वारा घायल काजल सिंह पुत्री राजीव नयन सिंह का एक गमछा छीटदार जिसपर खून के धब्बे लगे थे बरामद किया गया। गवाह आशुतोष मिश्रा के समक्ष सील मुहर तैयार किया गया तथा उपरोक्त दोनों गवाहों का फर्द पर हस्ताक्षर बनवाया गया व बयान भी दोनों उपरोक्त का अंकित किया गया। बयान फर्द गवाहान चन्द्रशेखर मिश्रा व विवेक पाण्डेय पूछने पर बता रहे हैं कि दिनांक 22.08.21 को थाना गगहा के दरोगा द्वारा घटनास्थल से एक अदद खोखा पीतल जिसपर K.F.65 अंकित है मेरे तथा विवेक पाण्डेय गवाह के समक्ष सील मुहर किया गया। उपरोक्त गवाहों के सामने फर्द तैयार कर उनके हस्ताक्षर बनवाया गया तथा उपरोक्त गवाहों का बयान भी अंकित किया गया तथा बयान फर्द गवाह रविन्द्र सिंह, दिव्यांश मिश्रा गवाह पूछने पर बता रहे है कि दिनांक 22.08.21 को थाना गगहा के दरोगा जी द्वारा घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी अलग–अलग डिब्बे में मेरे तथा दिव्यांश मिश्रा के

समक्ष कब्जे में लेकर सील मुहर किया गया। दोनों गवाहों का फर्द पर हस्ताक्षर बनवाया गया व बयान भी अंकित किया गया। पर्चा नं0 3 में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने का जिक्र किया, मेरे द्वारा किया गया है। पर्चा नं0 4 में भी मेरे द्वारा दिनां 24.08.21 को मुकदमे में नामजद मुल्जिम के गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने का जिक्र अंकित किया गया है। पर्चा नं0 5 दिनांक 25.08.21 को वादी राजीव नयन सिंह द्वारा थाना पर आकर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित घटना में घायल काजल सिंह पुत्री राजीव नयन सिंह जिनका ईलाज के0जी0एम0यू0 लखनऊ में चल रहा था। दौरान ईलाज काजल सिंह की मृत्यु के संबंध में ये एक अदद प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया जिसका नकल किया गया। वादी द्वारा काजल सिंह उम्र 26 वर्ष जो घटना के समय दिनांक 20.08.21 की रात में जान मारने की नीयत से गोली मार दी गयी जिसका उपचार हेतु सदर अस्पताल गोरखपुर द्वारा रेफर होकर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर किया गया। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज से चोटों की सीरियस होने के कारण लखनऊ रेफर कर दिया गया। दौरान सुबह मृत्यु हो गयी। जिसका पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम लखनऊ में करवाया गया। उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 324/21 में धारा 323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 में धारा 302 भा0द0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। मुकदमा में अग्रिम विवेचना धारा 302, 323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 में होनी, उपरांत रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। मेरे द्वारा दिनांक 22.08.21 को मु0अ0सं0 324/21 का नक्शा नजरी अपने हस्तलेख में तैयार किया गया। पत्रावली में कागज सं0 10क शामिल है जिसपर **प्रदर्श क-9** डाला गया जिसपर मेरा हस्ताक्षर है। पत्रावली में कागज सं0 8क/1 शामिल है यह फर्द मेरे द्वारा हस्तलेख में तैयार किया गया जिसपर **प्रदर्श क-10** डाला गया उसपर मेरा हस्ताक्षर है मैं हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ तथा घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी **वस्तु प्रदर्श-3** तथा सादी मिट्टी **वस्तु प्रदर्श-4** है जो आज न्यायालय के समक्ष खोला गया जिसपर उपरांत वस्तु प्रदर्श-3,4 डाला गया। पत्रावली में कागज सं0 8क/2 शामिल है जो फर्द मेरे द्वारा तैयार किया गया जिसपर मेरा हस्ताक्षर है मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क-11** डाला गया तथा घटनास्थल से बरामद एक अदद खोखा कारतूस जिसपर **वस्तु प्रदर्श-5** डाला गया जो न्यायालय के समक्ष खोला गया जिसपर वस्तु प्रदर्श पर माननीय न्यायालय का हस्ताक्षर है तथा वस्तु प्रदर्श-4 व 3 पर भी माननीय न्यायालय का हस्ताक्षर है।

साक्षी ने आगे कहा है कि मु0अ0सं0 324/21 धारा 323,504,307,394, 452,120B भा0द0सं0, थाना गगहा गोरखपुर फर्द कब्जा पुलिस मजरूबा काजल सिंह पुत्री राजीव नयन सिंह पीड़िता/ मृतका काजल सिंह का एक अदद गमछा रंग छीटदार जिसपर खून के धब्बे लगे हैं, जिसको गवाहों के समक्ष सील मुहर किया जिसमें गवाह कृष्ण मोहन मिश्रा व आशुतोष मिश्रा का फर्द पर अपने सामने हस्ताक्षर बनवाया तथा अपना मैं स्वयं अपना हस्ताक्षर किया जिसको साक्षी ने देखकर कहा कि यह फर्द मैंने बोलकर लिखवाया था। तत्पश्चात् उसपर मैं अपना हस्ताक्षर बनवाया जो पत्रावली में कागज सं 8क/3 शामिल है जिसपर **प्रदर्श क–12** अंकित किया गया तथा एक अदद गमछा छीटदार आज न्यायालय में उपस्थित है। इस न्यायालय के समक्ष खोला गया जिसपर **वस्तु प्रदर्श–6** अंकित किया गया। उपरोक्त मुकदमा से संबंधित फर्द लेने कब्जा पुलिस घटनास्थल वादी मुकदमा राजीव नयन सिंह टी–शर्ट, हाफ बाजू रंग क्रीम जिसपर US POLO Assn कालर पर अंकित है जिसपर खून के धब्बे है तथा एक अदद लोवर स्वेटी कलर का जिसपर HILLMAN X Cross XXL अंकित है जिसपर मजरूबा/ राजीव नयन सिंह की लड़की को बचाने के चक्कर में टी–शर्ट व लोवर पर खून के धब्बे लग गया था। गवाहों के समक्ष सील मुहर किया गया व गवाहों के हस्ताक्षर जिसमें गवाह का नाम चन्द्रप्रकाश मिश्रा, सुनील गौड़ ने मेरे सामने हस्ताक्षर बनाया था। फर्द मेरे बोलने पर लिखा गया उसपर मैं अपने हस्ताक्षर बनाया जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जो पत्रावली में कागज सं 8A/4 शामिल है जिसपर **प्रदर्श क–13** अंकित किया गया व बरामद लोवर टी–शर्ट पर वस्तु **प्रदर्श–7** डाला गया। आज न्यायालय के समक्ष न्यायालय के आदेश से खोला गया, वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया।

8.6 पी०डब्ल्यू० 6 डॉक्टर जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जोकि इस मामले के पोस्टमार्टमकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 25.08.21 को मेरी ड्यूटी किंग जॉर्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में मर्चरी हाउस में लगी थी। उसी दिन व तिथि को मृतक काजल सिंह पुत्र राजीन नयन सिंह निवासी–जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा को सी.पी. 7209 दिलीप कुमार पुलिस स्टेशन चौक द्वारा लाया गया था। मृतका का शव–विच्छेदन उसी दिन 12:20 पी.एम. पर शुरू हुआ व 01 बजे खत्म किया गया। मृतका को दिनांक 21.08.21 को सुबह 9.14 ए.एम. पर भर्ती किया गया था। मृतका की मृत्यु 25.08.21 को 6.44 ए.एम. पर

सुबह हो गयी थी। मृतका की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, वजन 38 किलोग्राम, शारीरिक बनावट मध्यम थी। मृतका के शरीर पर पोस्टमार्टम स्टेनिंग उपस्थित थी। मृतका के शरीर के ऊपरी हिस्से में मृत्यु पश्चात् अकड़न उपस्थित थी। मृतका की आँख व मुँह बन्द थी। नाक से खून का धक्का उपस्थित था। **मृत्यु पूर्व चोटें–**

1. ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न घाव जोकि 20 C.M X 6 C.M पेट पर सामने उपस्थित था।
2. 4 C.M X 3 C.M पेट के दाहिने तरफ व चोट नम्बर 01 से 4 C.M किनारे था।
3. घाव ड्रेन बुन्ड जिसका साईज 6 C.M इंजरी नम्बर 01 से पेट पर किनारे बांयी तरफ थी।

पेट को खोलने पर मृत्यु पूर्व चोटे के नीचे सूजन उपस्थित था। छोटी आंत पर टांका लगा कर सीला गया था। एक धातु की गोली जोकि एक्स–रे में दिखाई पड़ रही थी उसको पेट के बांयी तरफ प्राप्त किया गया। प्राप्त बुलेट गोली व एक्स–रे रिपोर्ट संबंधित शव को ले आने वाले सिपाही को सौप दिया गया। मृतका के शरीर के दोनों फेफड़ों में, लीवर में, तिल्ली एवं दोनों गुर्दा में बहुत सारे संक्रमण घाव उपस्थित था। मृतका के पेट में करीब 150 एम.एल. पस (मवाद) उपस्थित था। मृतका का आंतरिक परीक्षण मस्तिष्क एवं उसकी झिल्लियां व फेफड़ों एवं उसकी झिल्लियां, पेट अमाशय व उसकी झिल्लियां, लीवर, तिल्ली, गुर्दें सब में सूजन उपस्थित थी। मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व गोली लगने से आई चोट से संक्रमण के कारण हुई थी। मृतका की मृत्यु मेडिकल कालेज लखनऊ में उपचार के दौरान हो गयी थी। मृतका काजल सिंह के शव का पोस्टमार्टम कर शव–विच्छेदन आख्या संख्या 2834/2021 दिनांक 25.08.21 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 16क/1 है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–14** डाला गया। मृतका काजल सिंह को आयी गोली की चोट 20–21.08.21 के दरम्यानी रात की आयी हो सकती है।

8.7 पी०डब्ल्यू० 7 निरीक्षक संदीप कुमार सिंह जोकि इस मामले के विवेचक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 01.08.22 को मेरी नियुक्ति थाना प्रभारी गगहा के पद पर हुई थी। पूर्व विवेचक के स्थानांतरण पर जाने के कारण मु0अ0सं0 324/21

की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना ग्रहण कर पर्चा नं0 66 दिनांक 01.08.22 को विवेचना ग्रहण और पूर्व पर्चों के अवलोकन की कार्यवाही का जिक्र है। पर्चा नं0 67 दिनांक 02.08.22 को मुकदमा उपरोक्त के वादी राजीव नयन सिंह व उनकी पत्नी सत्यावती देवी का मजीद बयान का किता किया गया है तथा उक्त अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त राजन तिवारी के संबंध में रिमाण्ड लेने का जिक्र है। पर्चा नं0 68 दिनांक 03.08.22 को प्रकाश में आये अभियुक्त राजन तिवारी के जिला कारागार से तलब हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर और साक्ष्य संकलन किये जाने हेतु निर्देशित के क्रम में उक्त अभियोग में पूर्व से जेल में निरूद्ध अभियुक्त हरिश पुत्र इन्द्रपाल का मजीद बयान लेने हेतु अनुमति लेकर अभियुक्त का मजीद बयान जिला कारागार जाकर अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्त द्वारा अपने बयान में अभियुक्त राजन तिवारी के घटना में सम्मिलित होने की बात बताई गयी है तथा पहचान भी किया गया है। पर्चा नं0 69 दिनांक 04.08.22 को अभियुक्त राजन तिवारी को जिला कारागार से तलब कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के सामने रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जिसपर अभियुक्त राजन तिवारी को दिनांक 05.08.22 को माननीय न्यायालय द्वारा जिला कारागार से तलब करने का आदेश किया गया है। पर्चा नं0 70 दिनांक 05.08.22 को अभियुक्त राजन तिवारी जो जिला कारागार से उपस्थित न्यायालय आया है के रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु किता किया गया है। पर्चा नं0 71 पुनः दिनांक 05.08.22 को ही अभियुक्त राजन तिवारी का रिमाण्ड 14 दिवस प्राप्त हने का जिक्र तथा अभियुक्त के बयान हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर अभियुक्त राजन तिवारी का बयान अंकित किया गया है। पर्चा नं0 72 दिनांक 10.08.22 को अभियुक्त राजन तिवारी पुत्र रामाशीष तिवारी निवासी टाडा, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप–पत्र सं0 2 दिनांक 10.08.22 को अभियुक्त राजन तिवारी के विरूद्ध धारा 302,323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया। आरोप–पत्र शामिल पत्रावली कागज सं0 3क/1 ता 3क/10 पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पहचान करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–15** डाला गया।

8.8 पी०डब्ल्यू० 8 विनोद कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 20.08.21 की है, 11.30 बजे रात का समय है। राजीव नयन सिंह के घर शोर सुनकर मैं वहां दौड़कर पहुँचा अन्दर तीन लोग राजीव नयन सिंह को मार रहे थे, उसमें विजय प्रजापति थे, हरिश थे, एक आदमी और राजन तिवारी थे। उनकी लड़की काजल व लड़की की माँ सत्यावती देवी आयी व मना किये, माने नहीं है। उनमें से एक आदमी राजन तिवारी से पिस्टल मांगा उसका नाम विजय था, लड़की काजल वीडियो बना रही थी उसका मोबाईल विजय ने छीन लिया व पिस्टल से विजय ने काजल के पेट में गोली मार दिया। उसके बाद विजय ने राजीव नयन सिंह के अंगुली से अंगूठी निकाल लिया व फायर करते हुए तीनों लोग फायर करते हुए मोटर साईकिल से भाग गये। विजय, हरिश व राजन तिवारी थे। जब हम लोग बाहर आये तब देखे कि सुबाष, जयन्ती देवी राजीव के घर के बगल की गली से भाग रहे थे। घटना के समय यह भी लोग मौजूद थे। काजल को राजीव नयन सिंह गोरखपुर लेकर आये, सदर लेकर आये वहां से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। मेडकिल से भी लखनऊ रेफर कर दिया गया। के0जी0एम0यू0 में रेफर कर दिया गया। वहां काजल का ईलाज चला वहां दिनांक 25.08.21 को काजल की मृत्यु हो गयी। उसके बाद एम्बुलेंस से गाँव लाया गया व बड़हलगंज में दाह–संस्कार कर दिया गया। इस घटना के बावत दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था। मैंने घटना को देखा था व घटना के समय मैं मौजूद था। विजय कह रहे थे कि मेरे बाप से पैसा क्यों मांग रहे हो, पैसा मांगने के वजह से यह विवाद हुआ।

8.9 पी०डब्ल्यू० 9 सत्यावती देवी जोकि इस मामले की मृतका की माता हैं ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.21 समय 11.30 रात की घटना है। मेरा दरवाजा विजय खटखटा रहे थे, तो मेरे पति राजीव नयन सिंह दरवाजा खोलने आये। विजय व राजन व हरिश थे। मेरे पति को तीनों लोग फफ फोरने लगे। उसके बाद मैं व मेरी बेटी काजल सिंह निकले। मेरी लड़की मोबाईल से वीडियो बनाने लगी। राजन के कहने पर विजय मोबाईल छीन लिया व विजय ने काजल के पेट में गोली मार दिया। मेरी लड़की ने कहा कि मम्मी मुझे गोली लग गयी है। उसके बाद यह तीनों लोग फायर करते हुए भाग गये। मेरे पति की अंगूठी राजन ने छीन लिया जो सोने की थी। उसके बाद फोन मैंने किया, पुलिस आ गयी। उसके बाद

एम्बुलेंस भी आ गयी। उन तीनों के साथ सुबाष व जयन्ती गली से भाग रहे थे, मैंने देखा था। मौके पर विनोद सिंह, रविन्द्र आ गये। एम्बुलेंस से सदर अस्पताल गये, वहां से रेफर कर दिया। मेडिकल कालेज गये, वहां से रेफर कर दिये। वहां से के0जी0एम0यू0 गये वहां मेरी बेटी 5 दिनों भर्ती थी, छटे दिन मृत्यु हो गयी। दिनांक 25.08.21 को मृत्यु हो गयी। उसके बाद आये व दाह–संस्कार किये। उसके बाद एस.ओ. साहब मेरा बयान लिये।

9. साक्ष्य का मूल्यांकन एवं निष्कर्ष–

9.1 सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किया गया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तगण द्वारा रखे गये तर्कों का मनन किया गया।

9.2 अभियोजन कथानक एक लिखित तहरीर दिनांकित 21.08.2021 से अस्तित्व में आये प्राथमिकी दिनांक 21.08.2021 समय 18.32 बजे पर आधारित है। उक्त प्राथमिकी प्राथमिकी सं0 324/2021 दिनांक व समय 21.08.2021, 18.32 बजे अन्तर्गत धारा 323,504, 452,307,394,120B भा0द0सं0 पाँच व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति अज्ञात है नामित बताते हुए पंजीकृत हुई है। उल्लेखनीय रूप से तहरीर में मुख्य रूप से यह अंकित है कि

> प्रार्थी **दिनांक 20.08.2021 रात्रि 11.30** बजे अपने घर पर परिवार के साथ सो रहा था उसी समय **विजय प्रजापति, हरिश** तथा एक अन्य व्यक्ति उसके घर का दरवाजा खटखटया तथा कई आवाज दी इसको सुनकर वह दरवाजा खोला तथा विजय प्रजापति अन्दर चला आया उसे गाली देने लगा और उसके तुरंत बाद **हरिश** अन्दर घुसा दोनों उसे मारने लगे तथा यह कहने लगे कि उसके पिता से क्यों पैसा मांग रहा था तभी शोर सुनकर उसकी बेटी काजल व पत्नी आयी तब उसकी बेटी द्वारा इन लोगों का अपने मोबाईल से वीडियो बनाने लगी इसपर नाराज होकर विजय प्रजापति ने उसकी पुत्री काजल को गोली मार दी तथा उसका **मोबाईल व इस प्रार्थी के हाथ की अंगूठी लेकर फायर करते हुए**

भागे। **वह विजय प्रजापति तथा हरिश को पहचानता था तथा तीसरा व्यक्ति का नाम नहीं जानता था देखने पर पहचान जायेगा।** उल्लेखनीय रूप से उक्त तहरीर में यह भी अंकित है कि प्रार्थी के घर के बगल के गली में उक्त विजय का पिता सुबाष तथा माता जयन्ती देवी भी भागते हुए दिखाई दिये। सुबाष प्रजापति अपनी पुत्री की शादी तथा प्रार्थी के मकान में कार्य करने के एवज में प्रार्थी से पैसा अपनी मजदूरी से अधिक लिया था जिसे प्रार्थी मांग रहा था। सुबाष उसको टाल–मटोल कर रहा था उससे क्षुब्ध होकर अपने लड़के को बुलाया और ऐसी घटना करायी। उक्त तहरीर में गोली की आवाज को सुनकर लोगों के एकत्रित होने की बात का भी उल्लेख है। साथ ही यह भी अंकित है कि प्रार्थी एवं वहां पहुँचे विभिन्न लोगों द्वारा 112 नम्बर व 108 नम्बर पर फोन किया गया तथा मौके पर 112 नम्बर की गाड़ी व एम्बुलेन्स प्रार्थी तथा बेटी काजल को लेकर जिला अस्पताल गोरखपुर गये थे वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी पुत्री को बी०आर०डी० मेडिकल कालेज रेफर किया था तथा वहां प्रार्थी की पुत्री की स्थिति को गम्भीर देखते हुए किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा गया था जहां उसका ईलाज चल रहा था।

9.3 पत्रावली के परिशीनल से इस मामले से जुड़ा यह तथ्य निकलकर सामने आया कि प्रार्थी की पुत्री काजल सिंह की मृत्यु दिनांक 25.08.2021 को ईलाज के दौरान हो गई थी और तत्पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा प्राथमिकी में अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा0द0सं0 की वृद्धि की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि प्राथमिकी पंजीकृत होने के पश्चात् मामले की विवेचना की गई और विवेचना के पश्चात् आरोप–पत्र जिसमें **हरिश** पुत्र इन्द्रपाल, सुबाष पुत्र भोला, जयन्ती देवी पत्नी सुबाष को अभियुक्त के रूप में इंगित करते हुए उनके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323,504,452,307,394,120B,302 भा0द0सं0 के अपराध कारित करने के हेतु आरोप–पत्र विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को समर्पित किया उसी दिनांक को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप–पत्र में इंगित अपराध का संज्ञान उसमें नामित व्यक्तियों के विरूद्ध लिया गया।

9.4 उल्लेखनीय रूप से उक्त आरोप–पत्र में यह अंकित है कि प्राथमिकी एवं प्रार्थी के बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में जिस अज्ञात व्यक्ति का जिक्र किया गया है उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में काफी प्रयास के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है तथा मुकदमा उपरोक्त में एक अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुराग लगाने का पता जारी रखते हुए विवेचना प्रचलित है कि बात कही गई। यहाँ यह तथ्य भी अति उल्लेखनीय है कि उक्त आरोप–पत्र में यह भी अंकित है कि इस मामले की विवेचना के दौरान ही एक पुलिस मुठभेड़ में इस मामले के अभियुक्त विजय प्रजापति की मृत्यु हो गई थी।

9.5 पत्रावली के परिशीलन से यह दर्शित है कि मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा इस वर्तमान मामले में अभियुक्त हरिश, सुबाष एवं जयन्ती देवी के विरूद्ध आरोप का निर्धारण दिनांक 01.08.2022 को किया था तथा उक्त आरोप अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34, 323 सपठित 34, 307 सपठित 34, 504, 452 सपठित 34, 394 सपठित 34 तथा 120B भा0द0सं0 के तहत विरचित किया गया था। उल्लेखनीय रूप से मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा विरचित आरोप से यह भी दर्शित है कि सभी आरोप उक्त अभियुक्तगणों को पढ़कर सुनाये व समझाये गये थे जिससे उन्होंने इन्कार किया था और परीक्षण चाही थी। इस प्रकार से सत्रवाद सं0–222/2022 में आरोप विरचन की प्रक्रिया पूर्ण हुई।

9.6 उल्लेखनीय रूप से उक्त मामले की विवेचना के दौरान संबंधित पुलिस को अभियुक्त हरिश के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक अदद 315 बोर कारतूस बरामद किया गया था जिसे हेतु सत्रवाद सं0 2537/2023 अस्तित्व में आया और अभियुक्त हरिश के विरूद्ध इस हेतु आरोप अपराध अन्तर्गत धारा 3/5 आर्म्स एक्ट का आरोप दिनांक 07.11.2023 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा विरचित किया गया था। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा उक्त आरोप उक्त हरिश को पढ़कर सुनाया व समझाया गया था जिससे उसने इन्कार किया और विचारण की मांग की थी।

9.7 उल्लेखनीय रूप से इस मामले के साथ संलग्न अन्य पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इस मामले की शुरूआत में जिस अज्ञात व्यक्ति का उल्लेख किया गया है उसके संबंध में पुलिस के द्वारा यह तथ्य लाया गया कि वह अज्ञात व्यक्ति राजन तिवारी पुत्र स्व0 रामाशीष तिवारी निवासी टाड़ा थाना बड़हलगंज के विरूद्ध अनुपूरक आरोप–पत्र प्रस्तुत किया और जिसके आधार पर उक्त आरोप–पत्र में दर्शित अपराध का संज्ञान उक्त राजन तिवारी के विरूद्ध संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जाने के पश्चात् पत्रावली अन्तरण के आधार पर इस न्यायालय को परीक्षण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुई। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2022 को उक्त राजन तिवारी के विरूद्ध आरोप अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34, 323 सपठित 34, 307 सपठित 34, 504, 452 सपठित 34, 394 सपठित 34, 120B भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप के परिशीलन से यह भी दर्शित है कि उक्त विरचित आरोप अभियुक्त राजन तिवारी को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाये व समझाये गये थे जिससे उसने इन्कार किया था और परीक्षण चाहा था। इस प्रकार से अभियुक्त राजन तिवारी के संबंध में सत्रवाद सं0 1559/2022 अस्तित्व में आया था।

9.8 इस प्रकार से इस न्यायालय के समक्ष तीनों सत्रवाद विचारण हेतु प्रस्तुत हैं और वे इस प्रकार हैं सत्रवाद सं0 222/2022, सत्रवाद सं0 1559/2022 व सत्रवाद सं0 2537/2023, उल्लेखनीय रूप से चूंकि उपरोक्त तीनों ही सत्रवाद एक ट्रांजैक्शन में हुए अपराध से संबंधित है अतएव सुविधा की दृष्टि से एवं निर्णय में भिन्नता न हो के दृष्टिगत एक ही साथ परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण हुई है।

9.9 अभियोजन ने अपने कथानक को साबित करने हेतु कुल **9 (नौ)** गवाहों को प्रस्तुत एवं परीक्षित किया है साथ ही विभिन्न दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिनका विवरण इस निर्णय के पूर्वार्ध में किया जा चुका है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये **पी०डब्ल्यू०–1** राजीव नयन सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी), **पी०डब्ल्यू०–2** उपनिरीक्षक अमित चौधरी (प्रथम विवेचक), **पी०डब्ल्यू०–3** हेड कांस्टेबल राजन सिंह (प्राथमिकी लेखक), **पी०डब्ल्यू०–4** निरीक्षक अमित कुमार दूबे (द्वितीय

विवेचक), **पी०डब्ल्यू०–5** उपनिरीक्षक प्रभात सिंह (विवेचक), **पी०डब्ल्यू०–6** डॉक्टर जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (पोस्टमार्टमकर्ता), **पी०डब्ल्यू०–7** निरीक्षक संदीप कुमार सिंह (अभियुक्त राजन तिवारी के संबंध में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया), **पी०डब्ल्यू०–8** विनोद कुमार सिंह, **पी०डब्ल्यू०–9** सत्यावती देवी (चक्षुदर्शी साक्षी) हैं। इस प्रकार से **पी०डब्ल्यू०–1** राजीव नयन सिंह, **पी०डब्ल्यू०–8** विनोद कुमार सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी) व **पी०डब्ल्यू०–9** सत्यावती देवी इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये तथ्य के गवाह हैं, जबकि **पी०डब्ल्यू०–2, पी०डब्ल्यू०–3, पी०डब्ल्यू०–4, पी०डब्ल्यू०–5, पी०डब्ल्यू०–6** व **पी०डब्ल्यू०–7** इस मामले के औपचारिक गवाह हैं।

9.10 उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथापि अभियुक्त राजन तिवारी की ओर से फहरिस्त दस्तावेज से आई0जी0आर0एस0 संख्या 5001882000717 दिनांक 24.03.2022 द्वारा राजीव नयन सिंह की जाँच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2022 की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। अभियुक्त हरिश की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में एफ.आई.आर. नं० 335/2018 थाना गगहा, गोरखपुर अन्तर्गत धारा 392 भा०द०सं० की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती की तरफ से कोई बचाव साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

9.11 उल्लेखनीय रूप से अभियोजन का यह मामला जैसाकि उसके कथानक से दर्शित हो रहा है एक ऐसी घटना है जिसके तीन चक्षुदर्शी गवाह हैं और वे तीनों गवाह पहला **पी0डब्ल्यू0–1** राजीव नयन सिंह तथा दूसरा **पी0डब्ल्यू0–9** सत्यावती देवी जो राजीव नयन सिंह की धर्मपत्नी है और तीसरा **पी०डब्ल्यू०–8 विनोद सिंह है।** उल्लेखनीय रूप से अभियोजन कथानक की कथित घटना उक्त राजीव नयन सिंह के घर के भीतर अर्ध्दरात्रि के करीब होना बताया जा रहा है। मुख्य रूप से उक्त राजीव नयन सिंह जिन्होंने संबंधित पुलिस के समक्ष तहरीर दिया जिसके आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत हुई में विजय प्रजापति व हरिश नाम के दो व्यक्तियों को तथा एक अन्य एवं सुबाष जोकि उक्त विजय प्रजापति के पिता है तथा जयन्ती देवी जो उक्त विजय प्रजापति की माँ है को नामजद किया गया है। उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष का मुख्य तर्क यह है कि अभियुक्त हरिश

सहारनपुर का रहने वाला है। अतः उसे उक्त राजीव नयन सिंह ने कैसे पहचान लिया साथ ही जो अन्य अज्ञात व्यक्ति उक्त प्राथमिकी में नामजद किया गया है **जिसे कि संबंधित पुलिस ने अपनी अतिरिक्त विवेचना में राजन तिवारी नाम का व्यक्ति पाया है और उस राजन तिवारी की पहचान किस प्रकार से उक्त राजीव नयन सिंह एवं उनकी पत्नी के द्वारा की गई और इस प्रकार से इस मामले का सम्पूर्ण ताना बाना इसी बात पर आधारित है कि इस मामले की घटना जिसमें उक्त राजीव नयन सिंह की पुत्री की मृत्यु कारित की गई के समय कौन–कौन अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित थे।** उल्लेखनीय रूप से जैसा कि इस न्यायालय को अभियोजन द्वारा अवगत कराया गया है, इस मामले का **मुख्य किरदार विजय प्रजापति इस मामले की विवेचना के दौरान ही पुलिस मुठभेड़ के फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त कर चुका है,** अर्थात् इस न्यायालय को इस वर्तमान मामले में शेष चार अभियुक्त जोकि है हरिश, राजन तिवारी, सुबाष और जयन्ती देवी के संबंध में उनकी इस वर्तमान मामले में कारित की गई अपराध के संदर्भ में उनकी संलिप्तता के संबंध में विचार करना है।

9.12 उल्लेखनीय रूप से राजीव नयन सिंह जोकि इस मामले के सूचनाकर्ता है तथा इस मामले की मृतका के पिता है। इस मामले में अभियोजन द्वारा **पी0डब्ल्यू0–1** के रूप में प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये हैं। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस मामले से संबंधित लिखित तहरीर को तथा इस मामले की मृतका की मृत्यु के संबंध में पुलिस को दी गई सूचना तथा मृतका के शव का हुये पंचायतनामा को न्यायालय के समक्ष साबित किया है। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में विस्तार से इस मामले की घटना के संबंध में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 20.08.2021 की रात्रि 11:30 बजे की थी, उस समय वह घर में सो रहा था तब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तब वह उठा और घर का दरवाजा खोला, विजय (विजय प्रजापति) उसके घर के अन्दर आया और उसे मारने लगा इतने में **हरिश** और **राजन** भी घर के अन्दर आकर उसे मारने–पीटने लगे। इस प्रकार से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना दिनांक और समय जोकि रात्रि का 11.30 बजे का था विजय प्रजापति, हरिश और राजन उसके घर के अन्दर आये और पहले विजय आया जिसने उसे मारा और उसके बाद हरिश और राजन भी घर के अन्दर आये और उसे मारे।

9.13 उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि विजय ने उसे मारने पीटने के बाद कहा कि "वह उसके पिता से पैसा क्यों मांग रहा है?" आवाज सुनकर इस **पी0डब्ल्यू0–1** की पत्नी व पुत्री काजल आयी और अभियुक्तगण को मारने पीटने से मना किया तो सभी उन्हें गाली गलौज देने लगे।

9.14 उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री काजल घटना का वीडियो बनाने लगी यह देख **राजन तिवारी ने विजय से कहा कि इस पी0डब्ल्यू0–1 की पुत्री का मोबाईल वह छीन ले तो उसने अपनी पिस्टल विजय को देते हुए गोली मारने को कहा,** विजय ने काजल से उसका मोबाईल छीनकर उसके पेट में गोली मार दी। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि उसकी बेटी काजल को गोली मारकर तीनों अभियुक्त हवाई फायर करते हुए **एक सफेद रंग की मोटर साईकिल** से भाग गये। भागते समय विजय ने उसकी हाथ की अंगुली से सोने की अंगूठी भी निकाल ले गया। शोरगुल पर अगल बगल के लोग उसके घर पर आ गये।

9.15 उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि 108 नम्बर एवं 112 नम्बर पर फोन किया गया। 112 नम्बर का पी0आर0बी0 वैन तुरंत आ गया और उसमें उसकी बेटी काजल को वह और उसकी पत्नी और उसके गाँव का ही संदीप वैन पर लाद कर ले जा रहे थे इतने में 108 नम्बर का एम्बुलेंस भी आ गया, तब उसकी बेटी को एम्बुलेंस में डाला गया तब उसे लेकर वे लोग जिला अस्पताल गोरखपुर गये। प्राथमिक ईलाज करने के बाद जिला अस्पताल से बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और वहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर लखनऊ रेफर कर दिया गया।

9.16 उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि वह घर बनवा रहा था तथा अभियुक्त सुबाष को उसने घर बनवाने की जिम्मेदारी दे रखी थी और इस हेतु वह समय समय पर सुबाष को पैसे देता रहता था जब उसने पैसे का हिसाब किया तब

सुबाष के पास उसका 13,000/– हजार रूपया निकल रहा था और इस राशि को उसने सुबाष से मांगा किन्तु उसने देने में आना कानी की और साथ ही सुबाष की पत्नी जयन्ती ने भी उसकी पत्नी सत्यावती से कहा कि वह बकाया पैसा नहीं देगी। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि दिनांक 15.08.2021 को भी जब वह झण्डा रोहण के बाद लौट रहा था तब उसके गाँव के बाहर सुबाष अपनी पत्नी जयन्ती व कई अन्य लोगों के साथ बैठा था और उसे देखते ही जयन्ती ने गाली–गलौज देना शुरू कर दिया तब वह स्थिति को देखते हुए अपना रास्ता बदलकर अपने घर गया। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कहा है कि दिनांक 20.08.2021 के घटना के बाद सुबाष और जयन्ती को भी उसने अपने घर के गली से भागते हुए देखा था। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अग्रेतर अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर लखनऊ वह दिनांक 21.08.2021 को सुबह 9.14 बजे पहुँचा था और वहां उसकी बेटी का ईलाज शुरू हुआ था जहां ईलाज को दौरान दिनांक 25.08.2021 को सुबह 6.45 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

9.17 उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि दिनांक 21.08.2021 की शाम को वह लखनऊ से गोरखपुर वापस आया तथा लगभग 6 बजे शाम के बाद थाना गगहा पर पहुँचकर अपनी तहरीर थाने पर दी थी।

9.18 उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर यह साक्ष्य दिया है कि **अभियुक्त विजय प्रजापति के पिता सुबाष उसके मौहल्ले के ही रहने वाले है** और उनके दोनों लड़कियों की शादी में उसने उनकी आर्थिक मदद किया था। इस प्रकार से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** के मुख्य परीक्षा से निम्नलिखित तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं–

1. घटना दिनांक 20.08.2021 की रात्रि 11.30 बजे की है।
2. उस समय **पी0डब्ल्यू0–1** घर में सो रहा था।
3. तभी विजय उसके दरवाजे को खटखटाया इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने दरवाजा खोला, वह विजय अन्दर आया और इस **पी0डब्ल्यू0–1** को मारने लगा।

4. इतने में हरिश और राजन भी घर के अन्दर आ गये और **पी0डब्ल्यू0–1** को मारने पीटने लगे।
5. विजय यह भी कह रहा था इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने उसके पिता से पैसे क्यों मांगे।
6. **पी0डब्ल्यू0–1** की पत्नी सत्यावती और पुत्री काजल भी वहां आ गयी जिन्होंने अभियुक्तगणों को मारने पीटने से मना किया किन्तु सभी उन्हें गाली–गलौज करने लगे।
7. तभी इस **पी0डब्ल्यू0–1** की पुत्री काजल उस समय की घटना का वीडियो बनाने लगी।
8. यह देखकर राजन तिवारी ने विजय से कहा कि इस **पी0डब्ल्यू0–1** की पुत्री का मोबाईल छीन ले और राजन तिवारी ने अपना पिस्टल विजय को देते हुए गोली मारने को कहा।
9. विजय ने काजल का मोबाईल छीनकर उसके पेट में गोली मार दी।
10. उसके बाद उक्त तीनों हवाई फायर करते हुए सफेद रंग की मोटर साईकिल से भाग गये।
11. भागते समय विजय ने **पी0डब्ल्यू0–1** के हाथ की अंगुली से सोने की अंगूठी निकाल ले गया।
12. शोरगुल पर अगल बगल के लोग जुट गये।
13. 108 नम्बर व 112 नम्बर पर फोन किया गया।
14. पी0आर0पी0 वैन आया, 108 नम्बर एम्बुलेंस आया जिससे **पी0डब्ल्यू0–1** की पुत्री काजल को अस्पताल ले जाया गया।
15. **पी0डब्ल्यू0–1** की पुत्री जिला अस्पताल उसके बाद बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज उसके बाद के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर लखनऊ ले जाया गया।
16. उक्त काजल को के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर लखनऊ दिनांक 21.08.2021 को 9.14 बजे लाया गया जहां उसकी मृत्यु दिनांक 25.08.2021 को सुबह 6.45 बजे हो गई।
17. दिनांक 21.08.2021 की शाम को **पी0डब्ल्यू0–1** गोरखपुर, लखनऊ से आया और लगभग 6 बजे शाम के बाद थाना गगहा पहुँचकर अपनी तहरीर थाने पर दिया।
18. विजय प्रजापति के पिता सुबाष **पी0डब्ल्यू0–1** के मोहल्ले में ही रहते थे।
19. **पी0डब्ल्यू0–1** को सुबाष से 13,000/– रूपये लेने थे।

20. सुबाष की पत्नी जयन्ती ने **पी0डब्ल्यू0–1** की पत्नी सत्यावती से कहा था वह बकाया पैसे नहीं देगी।

21. दिनांक 15.08.2021 को जयन्ती ने इस **पी0डब्ल्यू0–1** के साथ गाली–गलौज किया था।

22. इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने इस मामले की घटना दिनांक 20.08.2021 की घटना के बाद सुबाष और जयन्ती को भी अपने घर की गली से भागते हुए देखा था।

9.19 इस प्रकार से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** राजीव नयन सिंह की मुख्य परीक्षा में आये तथ्य के सम्यक विश्लेषण से यह दर्शित हो रहा है कि कथित रूप से विजय प्रजापति नाम के व्यक्ति ने जिसकी मृत्यु आरोप–पत्र समर्पण के पूर्व ही हो चुकी है ने इस **पी0डब्ल्यू0–1** से इस मामले की कथित घटना के समय कहा था कि वह उसके पिता से पैसे क्यों मांग रहा है साथ ही इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य में 2–3 घटनाक्रम का उल्लेख इस मामले के अभियुक्त सुबाष और जयन्ती के संदर्भ में किया है जिसमें पहला यह है कि सुबाष ने उसने बकाया पैसों को देने से मना कर दिया, सुबाष की पत्नी जयन्ती इस **पी0डब्ल्यू0–1** की पत्नी सत्यावती को बकाया पैसे देने से मना कर दिया था और दिनांक 15.08.2021 को जयन्ती ने इस **पी0डब्ल्यू0–1** के साथ उक्त पैसे के ही लेनदेन के संदर्भ में गाली–गलौज की थी अर्थात् इस **पी0डब्ल्यू0–1** के द्वारा उक्त सुबाष और जयन्ती के संदर्भ में जो घटनाक्रम न्यायालय के समक्ष बताये गये वे घटनाक्रम इस मामले की घटना जोकि दिनांक 20.08.2021 के पूर्व का है। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि घटना दिनांक और समय पर घटना के बाद उसने अभियुक्त सुबाष और जयन्ती को भी अपने घर की गली से भागते हुए देखा था। उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में एक आरोप इस मामले के अभियुक्तगण के विरूद्ध आपाधिक षड्यंत्र का भी लगा है किन्तु पत्रावली पर आपराधिक षड्यंत्र जिसकी परिभाषा धारा 120A में दी गई है को आकर्षित करने हेतु अवयव का इस वर्तमान मामले में मुख्य रूप से अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती के सापेक्ष पूर्ण अभाव है क्योंकि पत्रावली पर ऐसे तथ्य मौजूद नहीं है खासकर उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है जिससे यह दर्शित हो रहा हो कि इस मामले के शेष अभियुक्तगणों और उक्त सुबाष और जयन्ती के मध्य

अपराध कारित करने हेतु जिसके तहत उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** की पुत्री की मृत्यु कारित की गई थी के संदर्भ में मीटिंग ऑफ माइंड हुआ हो उक्त अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती के संदर्भ में केवल इतना भर तथ्य इस **पी0डब्ल्यू0–1** के साक्ष्य में आया है कि उसने उन्हें इस मामले की घटना के बाद भागते हुए देखा गया मात्र इतने भर से यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि उक्त अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती उस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे जिसके संदर्भ में इस मामले के सूचनाकर्ता की पुत्री काजल की घटना दिनांक और समय पर गोली मारकर मृत्यु कारित की गई थी। यह न्यायालय उक्त अभियुक्तगण सुबाष व जयन्ती के संबंध में अग्रेतर विश्लेषण करेगी।

9.20 उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान को तस्दीक किया है।

9.21 उल्लेखनीय रूप से इस मामले की प्राथमिकी में एक **अज्ञात** व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने राजन तिवारी नाम के व्यक्ति को संबोधित करते हुए मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है अतएव यह न्यायालय सर्वप्रथम राजन तिवारी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक समझती है। उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि विवेचक ने उसका बयान 3–4 बार दर्ज किया था। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि अभियुक्त राजन तिवारी के संबंध में जारी विवेचना के दौरान विवेचक ने उससे पूछताछ किया था। **उल्लेखनीय रूप से उक्त पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि विवेचक को उसने यह बताया था कि वह अज्ञात व्यक्ति के चेहरे से पहचानता है पर उसका नाम नहीं जानता उसने विवेचक से यह भी कहा था कि उसका चेहरा देखते ही उसे पहचान जायेगा। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि अज्ञात व्यक्ति को घटना से पहले भी कैदहा के एक होटल में देखा था।**

9.22 उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शुरू से ही विजय, हरिश, राजन तिवारी का नाम लेता आ रहा है जबकि प्राथमिकी में राजन तिवारी के जगह पर अज्ञात

शब्द का उल्लेख है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चूंकि विवेचना के दौरान संबंधित पुलिस द्वारा उस अज्ञात व्यक्ति के संबंध में जो साक्ष्य जटाये गये थे उसके आधार पर राजन तिवारी के नाम का उल्लेख किया गया है और इसी अनुक्रम में इस **पी0डब्ल्यू0–1** के द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गई मुख्य परीक्षा में राजन तिवारी का नाम लिया है बनिस्पत अज्ञात व्यक्ति का नाम लेने के उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 के प्रतिपरीक्षा में जैसा कि अज्ञात अंकित है **ने कहा है कि विवेचक को उसने यह बताया था कि वह अज्ञात व्यक्ति को चेहरे से पहचानता है पर उसका नाम नहीं जानता है।** उसने विवेचक से यह भी कहा था कि उसका चेहरे देखने से पहचान जायेगा। यही नहीं इस **पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि उस अज्ञात व्यक्ति को कैदहा के एक होलत में देखा था।** उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि विवेचना के दौरान पुलिस ने अज्ञात अभियुक्तों की पहचान उससे करायी थी। **इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अज्ञात व्यक्ति के रूप में राजन तिवारी की पहचान भलीभांति की थी और यह पहचान की प्रक्रिया को बचाव पक्ष के द्वारा इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में पूछे गये प्रश्नों से और भी स्थापित कर दिया है कि वह अज्ञात व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राजन तिवारी ही था।** अग्रेतर इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि दौरान विवेचना उसने नितिन तिवारी व राजन तिवारी के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना–पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को दिया था, उसने उनकी गिरफ्तारी हेतु भी प्रार्थना–पत्र दिया था उसने वर्ष 2021 में नितिन तिवारी व राजन की गिरफ्तारी हेतु कई बार पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना–पत्र दिया था। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** की प्रतिपरीक्षा में पेज सं0 10 पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि राजन तिवारी की गिरफ्तारी हेतु उसने पुलिस अधीक्षक तथा अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना–पत्र अक्टूबर2021 से देना शुरू किया था। इस प्रकार इस **पी0डब्ल्यू0–1** की उक्त साक्ष्य से यह बात विश्वसनीय रूप से स्थापित हो रहा है कि **इस मामले की विवेचना के दौरान ही यह पी0डब्ल्यू0–1, राजन तिवारी की पहचान से पूर्ण रूप से वाकिफ हो चुका था।** इस प्रकार से इस पी0डब्ल्यू0–1 की जो प्रतिपरीक्षा अभियुक्त राजन तिवारी की ओर से की गई उसके तहत ही उक्त पी0डब्ल्यू0–1 के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है वह अभियुक्त राजन तिवारी के पहचान के संदर्भ में विश्वसनीय साक्ष्य है।

9.23 अग्रेतर इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में ही यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि घटना का समय रात्रि 11.30 बजे का ही था क्योंकि उस समय उसके पास मोबाईल फोन था और उसे देखकर ही उसने घटना का समय लिखवाया था। इस प्रकार से पुनः बचाव पक्ष के द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा से ही यह तथ्य स्पष्ट हो जा रहा है कि इस मामले की घटना का समय रात्रि 11.30 बजे का था। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि कथित घटना के लगभग 20 मिनट बाद मौके पर 112 नम्बर पी0आर0बी0 वैन आ गई थी।

9.24 उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 से अभियुक्त सुबाष और जयन्ती की तरफ से अलग से प्रतिपरीक्षा की गई है और इस संदर्भ में इस पी0डब्ल्यू0–1 की प्रतिपरीक्षा में वही तथ्य आये हैं कि अभियुक्त सुबाष को इस पी0डब्ल्यू0–1 को कुछ पैसे देने थे साथ ही दिनांक 15.08.2021 को अभियुक्त जयन्ती देवी ने इस पी0डब्ल्यू0–1 को गाली–गुप्ता दिया था। हालांकि इस संबंध में उसने स्वीकार किया है कि उसने कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया था साथ ही इस पी0डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि पुलिस को घटना के समय सुबाष और जयन्ती के घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के संबंध में जानकारी दी थी। यदि इस संबंध में नक्शा नजरी में कोई उल्लेख नहीं है तो इसका कारण वह नहीं बता सकता। इस प्रकार से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अभियुक्त सुबाष और जयन्ती के विरूद्ध पैसों की लेनदेन की बात तथा पूर्व में जयन्ती के द्वारा गाली दिये जाने की बात कही है।

9.25 उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त हरिश की तरफ से अगल से इस पी0डब्ल्यू0–1 की प्रतिपरीक्षा की गई है और प्रतिपरीक्षा जिस प्रकार से की गई है उसका लब्बोलुआब यही है कि यह अभियुक्त हरिश गोरखपुर का रहने वाला नहीं था तब वैसे में इस पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा उसे कैसे पहचान लिया गया। उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष की ओर से जिस प्रकार के प्रश्न इस पी0डब्ल्यू0–1 से पूछे गये हैं वे स्वयमेव बहुत से तथ्य को उद्घाटित करने में सक्षम है। इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त हरिश के संबंध में पूछे गये प्रश्न का जवाब यह दे रहा है कि वह गोरखपुर का रहने वाला नहीं अर्थात् इस पी0डब्ल्यू0–1 को यह मालूम है कि हरिश कहां का रहने वाला है और स्पष्ट रूप से यह प्रश्न बचाव पक्ष के विरूद्ध जा रहा है। उल्लेखनीय रूप

से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारा है कि चूंकि उसे हरिश के निवास स्थान या पिता का नाम पता नहीं था इस वजह से उसने इसका उल्लेख अपनी तहरीर में नहीं किया था। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उसने हरिश को घटना के पूर्व सन् 2019 में बांसगाँव थाने में हुई लूट की घटना के समय पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर देखा था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस पी0डब्ल्यू0–1 की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य आया है कि वह आउट लाईन कोर्ट बांसगाँव में आदेशिका वाहक के पद पर कार्यरत है और इस प्रकार से यदि इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि उसने हरिश को घटना के पूर्व वर्ष 2019 में बांसगाँव थाने में हुई लूट की घटना के समय पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर देखा था उसे अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं साथ ही बचाव पक्ष के द्वारा पूछे गये इस प्रश्न के जवाब में कि जब हरिश रिमाण्ड पर पकड़कर बांसगाँव लाया गया था उस समय रिमाण्ड वाले न्यायालय में वह किसी पद पर नियुक्त नहीं था इस जवाब से बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलता क्योंकि स्वीकृत रूप से यह पी0डब्ल्यू0–1 आउट लाईन कोर्ट बांसगाँव में आदेशिका वाहक के पद पर था **अर्थात् वह न्यायालय में नहीं हो ऐसा अवधारित नहीं किया जा सकता।** यही नहीं उक्त पी0डब्ल्यू0–1 की प्रतिपरीक्षा में ही यह तथ्य निकलकर सामने आया है जिसमें पी0डब्ल्यू0–1 ने कहा है कि हरिश का नाम व फोटो सन् 2019 के लूट काण्ड में अखबारों में भी छपा था इससे स्पष्ट है कि उक्त पी0डब्ल्यू0–1 को अभियुक्त हरिश के संबंध में पूर्ण पहचान थी तभी अभियुक्त हरिश का नाम उसके द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीर में भी अंकित है। **यदि मान भी लिया जाये उक्त पी0डब्ल्यू0–1 सूचनाकर्ता, अभियुक्त हरिश को नहीं पहचानता था तब भी वैसी स्थिति में जिस प्रकार से उसने राजन तिवारी के लिए अज्ञात शब्द का इस्तेमाल किया, हरिश के लिए भी अज्ञात ही इस्तेमाल करता किन्तु उसके द्वारा हरिश को नामजद करते हुए प्राथमिकी पंजीकृत करायी गई थी और इस प्रकार से उक्त पी0डब्ल्यू0–1 ने इस मामले के दोनों अभियुक्तगण हरिश और राजन तिवारी के बारे में स्पष्ट रूप से पहचान के संदर्भ में साक्ष्य दिया है** जिसे अविश्वसनीय किये जाने हेतु बचाव पक्ष के द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि **अभियुक्त हरिश ने उसे किसी हथियार से नहीं परंतु हाथ से मारा था अर्थात् अभियुक्त हरिश की घटनास्थल और समय पर उपस्थिति को बचाव पक्ष के द्वारा इस गवाह**

से पूछे गये प्रतिपरीक्षा में प्रश्न में ही स्पष्ट कर दिया है। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में समरूप तरीके से कहा है कि अभियुक्तगण सफेद रंग की मोटर साईकल से आये थे।

9.26 पी0डब्ल्यू0–9 सत्यावती देवी जो इस मामले के सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह पी0डब्ल्यू0–1 की धर्मपत्नी है उन्हें भी अभियोजन द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है। पी0डब्ल्यू0–9 ने भी पी0डब्ल्यू0–1 की तरह ही अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है जिसमें घटना दिनांक 20.08.2021 समय रात्रि 11.30 बजे विजय व राजन व हरिश के उनके घर पर आने की बात कही गई है साथ ही इस पी0डब्ल्यू0–9 ने मुख्य परीक्षा में यह भी साक्ष्य दिया है कि वे तीनों उसके पति को फफ फोरने लगे उसके बाद वह तथा उसकी बेटी काजल सिंह निकले, उसी बेटी काजल सिंह मोबाईल से वीडियो बनाने लगी। राजन के कहने पर विजय ने मोबाईल छीन लिया व विजय ने काजल के पेट में गोली मार दिया। तब लड़की ने कहा कि मम्मी मुझे गोली लग गई है उसके बाद तीनों अभियुक्तगण फायर करते हुए भाग गये उसके पति की अंगूठी राजन ने छीन लिया जो सोने की थी उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया पुलिस आ गयी उसके बाद एम्बुलेंस भी आ गयी। उक्त पी0डब्ल्यू0–9 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी साक्ष्य दिया है कि इन तीनों के साथ सुबाष व जयन्ती गली से भाग रहे थे उसने देखा था। घटनास्थल पर विनोद सिंह, रविन्द्र आ गये थे एम्बुलेंस से सब अस्पताल गये वहां से रेफर कर दिया तब मेडिकल कालेज गये वहां से रफर कर गये तब के0जी0एम0यू0 गये जहां उसकी बेटी भर्ती थी। दिनांक 25.08.2021 को उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इस पी0डब्ल्यू0–9 ने भी पी0डब्ल्यू0–1 के द्वारा दिये गये साक्ष्य के समरूप ही साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक और समय तीनों व्यक्ति विजय, राजन, हरिश थे आये उसकी पति को मारने पीटने लगे तब वह और उसकी बेटी आयी और उसकी बेटी मृतका काजल वीडियो बनाने लगे तब अभियुक्त राजन के कहने पर विजय ने काजल का मोबाईल छीन लिया और विजय ने काजल के पेट में गोली मार दी।

9.27 उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–9** की **प्रतिपरीक्षा** के प्रथम अंश में ही **यह कहा है कि हरिश को उसने घटना के पहले देखा था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि जब हरिश व विजय ने बांसगाँव में बैंक लूटा था तब इनको पब्लिक ने बहुत नंगा करके मारा था और तब उसने देखा था। इस पी0डब्ल्यू0–9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर कहा है कि बांसगाँव में डकैती हुई थी, वहां पर हरिश पकड़ा गया था उसकी लड़की की मृत्यु के डेढ़ दो साल पहले बांसगाँव में डकैती हुई थी तब उसने हरिश को देखा था जाड़े का समय था जब हरिश पकड़ा गया था।** इस प्रकार से हरिश की पहचान के संबंध में जो बातें पी0डब्ल्यू0–9 की प्रतिपरीक्षा में निकलकर आयी है इस पी0डब्ल्यू0–9 ने भी जो साक्ष्य अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया है उसको संपुष्ट करता है इतने से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुँचती है कि जहां अभियुक्त हरिश और विजय प्रजापति जिसकी मृत्यु हो चुकी है ने अनेकशः आपराधिक कृत कर रखे हैं (हरिश के संबंध में एक अपराध धारा 392 भा०द०सं० थाना गगहा, गोरखपुर का उद्धरण उसके अधिवक्ता द्वारा ही किया जा चुका है जबकि अभियोजन द्वारा तर्क के दौरान अभियुक्त हरिश के आपराधिक कृत की सूची न्यायालय को दिखाई गई थी साथ ही अभियोजन द्वारा यह भी न्यायालय को अवगत कराया गया था कि हरिश के आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में सभी तथ्य पुलिस के बेवसाइट पर उपलब्ध है) जिसके संबंध में आम जन में पूर्ण जानकारी है वह या तो अखबार के माध्यम से या फिर घटित घटना के समय उपस्थित हुए परिदृश्य से उनकी पहचान जग जाहिर थी।

9.28 उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–9 की प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष के द्वारा बार–बार एक ही तरीके के प्रश्न पूछे गये उन सबों का जवाब जिस प्रकार से इस पी0डब्ल्यू0–9 ने दिया है उससे स्पष्ट है कि अभियुक्त हरिश की पहचान जिस प्रकार इस पी0डब्ल्यू0–9 के द्वारा की गई है उसको विखण्डित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

9.29 उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त सुबाष और जयन्ती के तरफ से जो प्रतिपरीक्षा इस पी0डब्ल्यू0–9 से की गई है उसमें इस पी0डब्ल्यू0–9 ने यह कहा है कि ज्योहीं उसके पति दालान का दरवाजा खोले त्योहीं बदमाश उन्हें खींच ले गये दरवाजे के ठीक सामने ही उन्हें ले गये

वहीं गोली चला दी जो उसकी लड़की को लगी उसे बदमाशों द्वारा धकेल दिया गया वह उसी दालान वाले मुख्य चौखट पर गिर गई उसे चोट आयी लेकिन उस समय नहीं पता चला वह तुरंत उठकर अपनी लड़की को उठायी उसकी लड़की के पेट से खून बह रहा था वह और उसकी लड़की उस समय रो रही थी **वे लोग उसी ओसारे पर ले बैठे थे जिससे स्पष्ट हो रहा है कि घटना के तुरंत बाद मृतका और उसकी माँ पी0डब्ल्यू0–9 एक जगह बैठे थे ऐसे में इस गवाह का यह कहना कि उसने सुबाष और जयन्ती को गली में भागते हुए देखा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता।**

9.30 उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त राजन तिवारी की ओर से इस पी0डब्ल्यू0–9 की प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य निकलकर सामने आये हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह पी0डब्ल्यू0–9 विजय प्रजापति को पहले से जानती थी साथ ही इस पी0डब्ल्यू0–9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में जो अभियुक्त राजन तिवारी की ओर से की गई है में स्पष्ट रूप से कहा है जो जो हमलावर घर पर आये उनमें से एक को छोड़कर दो को वह पहचानती थी उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि वह, विजय व हरिश को पहचानती थी। हरिश को बांसगाँव में लूट हुई तो पब्लिक उसको मार रही थी तभी देखी थी फोटो अखबार में देखकर पहचानी थी। हरिश सहारनपुर का रहने वाला है विजय ने उसे बताया था कि हरिश सहारनपुर का रहने वाला है। इस प्रकार इस पी0डब्ल्यू0–9 ने अभियुक्त हरिश की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में भी अभियुक्त हरिश को पहचानने के संबंध में भी अपने पूर्व के साक्ष्य पर अडिग रहते हुए साक्ष्य दिया है। अभियुक्त राजन तिवारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के पेज सं0 13 पर वह पुनः कहती है कि वह हरिश को पहले से पहचानती थी, राजन को पहले से नहीं पहचानती थी, 2022 में जब बियर शॉप लूट किये तब मोबाईल व अखबार में उनको पहचानी थी। वह अखबार व मोबाईल में देखकर राजन की पहचान की थी। इस प्रकार से इस पी0डब्ल्यू0–9 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में जो साक्ष्य दिया है उससे यह तथ्य निकलकर सामने आ रहे है कि अभियुक्त राजन तिवारी के पहचान के संबंध में कोई संशय नहीं रह गया था। इस प्रकार से उक्त पी0डब्ल्यू0–1 राजीव नयन सिंह और पी0डब्ल्यू0–9 सत्यावती देवी के दिये गये साक्ष्य को बचाव पक्ष खण्डित करने में असफल रहा है किन्तु उक्त सुबाष और जयन्ती के संदर्भ में खण्डित में असफल रहा है। **इस प्रकार से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर**

<u>**पहुँचती है कि उक्त दोनों ही साक्षीगणों ने अभियुक्त हरिश और राजन तिवारी की पहचान के संबंध में न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं।**</u>

9.31 पी0डब्ल्यू0–8 विनोद कुमार सिंह को भी अभियोजन द्वारा चक्षुदर्शी गवाह के रूप में प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये हैं। इस पी0डब्ल्यू0–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विवरण उसी प्रकार से दिया है जिस प्रकार से पी0डब्ल्यू0–1 और पी0डब्ल्यू0–9 ने दिया अतएव यह न्यायालय इस पी0डब्ल्यू0–8 की मुख्य परीक्षा में आये तथ्य को विस्तार से उल्लेख किया जाना समीचीन नहीं समझती है।

9.32 उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–8 की सभी अभियुक्तगणों की तरफ से विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन यह पी0डब्ल्यू0–8 अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पूर्ण रूप से अडिग रहा है। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा जोकि अभियुक्त हरिश की तरफ से किया गया है, यह साक्ष्य दिया है कि उसका घर वादी के घर से 200–300 मीटर की दूरी पर है और उनके मकानों के बीच में 5–6 मकान है और वह शोरगुल की आवाज सुनकर वादी के घर के चल दिया था और उसके घर से वादी के घर पहुँचने में एक से डेढ़ मिनट लगा था और जब वह घर के अन्दर पहुँचा तो देखा कि वहां हरिश, राजन तिवारी, विजय मौजूद थे साथ ही इस पी0डब्ल्यू0–8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त हरिश को कैसे पहचाना इस संदर्भ में भी विस्तार से बताया है। इसी प्रकार से अभियुक्त राजन तिवारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में भी यह पी0डब्ल्यू0–8 अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई बातों पर अडिग रहा है और इस प्रकार से बचाव पक्ष इस पी0डब्ल्यू0–8 को अभियुक्तगण हरिश और राजन तिवारी के सापेक्ष अविश्वसनीय ठहराये जाने के प्रयास में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं अतएव यह न्यायालय इस पी0डब्ल्यू0–8 के द्वारा दिये गये साक्ष्य को अभियोजन कथानक का समर्थन किया हुआ अवधारित करती है।

9.33 पी0डब्ल्यू0–2 उपनिरीक्षक अमित चौधरी इस मामले के प्रथम विवेचक हैं उनके द्वारा मामले की शुरूआती विवेचना की गई है। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि वादी मुकदमा ने मारने पीटने की बात उन लोगों के बावत कही गई

जिनका विजय व हरिश है। वादी मुकदमा के घर में घुसने की बात केवल हरिश व विजय के बारे में कही थी। उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त हरिश की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया हरिश के संबंध में वादी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया था जोकि इस विवेचक के द्वारा बताया जा रहा है। न्यायालय द्वारा इस संबंध में विचार किया, स्वीकृत रूप से वादी को दो अभियुक्तगणों का नाम पता था जोकि विजय और हरिश है तीसरे का नाम पता ही नहीं था अतएव यदि उसके द्वारा जो बातें कही गई उसके संबंध में विवेचक दो लोगों के बारे में बता रहा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया कथानक असत्य नहीं हो जाता है।

9.34 पी0डब्ल्यू0–3 हैड कांस्टेबल राजन सिंह ने इस मामले की प्राथमिकी तथा संबद्ध कायमी जी0डी0 को साबित किया है। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि यह कहना सच है कि लगभग 19 घण्टे विलम्ब से मुकदमा दर्ज करायी गई है। उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पुरजोर तरीके से उठाये गये कि मामले की प्राथमिकी अति विलम्ब से पंजीकृत हुई है और उस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है अतएव अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

9.35 उक्त के संबंध में न्यायालय द्वारा विचार किया गया, स्वीकृत रूप से इस मामले की घटना दिनांक 20.08.2021 रात्रि 11.30 की है और घटनास्थल पर 15 मिनट की दरम्यान ही पी0आर0बी0 एवं 108 नम्बर की एम्बुलेंस आ गई थी जिसके द्वारा इस मामले की आहत जिसकी बाद में मृत्यु हो गई जो अस्पताल ले जाया गया जो स्पष्ट रूप से पुलिस की जानकारी के दायरे में ही सम्पन्न हुआ था ऐसी स्थिति में यदि संबंधित पुलिस को संज्ञेय अपराध के कारित किये जाने के संबंध में पूर्ण सूचना थी तब ऐसे में उस पिता के द्वारा जोकि अपनी घायल एकमात्र बेटी को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटक रहा था से यह आशा किया जाना कि वह सर्वप्रथम फोरमली प्राथमिकी पंजीकृत करता यह एक अन्याय पूर्ण अपेक्षा है तब जबकि संबंधित पुलिस को मामले की घटना की पूर्ण जानकारी थी तब यह सम्पूर्ण रूप से संबंधित पुलिस से अपेक्षित था कि वह यथा समय मामले के संबंध में प्राथमिकी पंजीकृत करता अतएवं जो भी कुछ इस वर्तमान मामले

की प्राथमिक दर्ज करने में विलम्ब दर्शित है उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस पर है और इसका फलीतार्थ अभियोजन कथानक के प्रतिकूल अवधारित नहीं किया जा सकता।

9.36 पी0डब्ल्यू0–4 निरीक्षक अमित कुमार दूबे इस मामले के द्वितीय विवेचक है इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उनके द्वारा विवेचना के दौरान इस मामले के वादी राजीव नयन सिंह व उनकी पत्नी सत्यावती देवी का मजीद बयान अंकित किया था साथ ही विवेचना के दौरान मुकदमा वादी राजीव नयन सिंह का बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ था। उक्त पी0डब्ल्यू0–4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी साक्ष्य दिया है कि विवेचना के दौरान अभियुक्त हरिश की गिरफ्तारी व उससे बरामदगी की गई थी। उक्त पी0डब्ल्यू0–4 ने यह साक्ष्य दिया है कि इस मामले से संबंधित एक मुल्जिम विजय प्रजापति पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था जैसा पर्चा नं0 19 दिनांक 10.09.2021 में अंकित है। उक्त पी0डब्ल्यू0–4 ने अभियुक्त सुबाष एवं जयन्ती देवी की गिरफ्तारी के संबंध में साक्ष्य दिया है। उक्त पी0डब्ल्यू0–4 ने अभियुक्त हरिश, सुबाष एवं जयन्ती के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302,323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 दिनांक 20.11.2021 संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जबकि एक अज्ञात मुल्जिम के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही।

9.37 उल्लेखनीय रूप से उक्त पी0डब्ल्यू0–4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त हरिश के पास से बरामद कट्टा 315 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था साबित किया जिसपर **वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2** क्रमशः डाला गया साथ ही इस पी0डब्ल्यू0–4 के द्वारा उक्त तमंचा और जिन्दा कारतूस की बरामदगी के संबंध में फर्द बरामदगी को न्यायालय के समक्ष साबित किया जिसपर **प्रदर्श क–8** डाला गया। उल्लेखनीय रूप से पी0डब्ल्यू0–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि घटना तीन बदमाशों द्वारा कारित करने की बात कही गई है। **उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–4 विवेचक ने प्रतिपरीक्षा में मुख्य रूप से उसे याद नहीं, यह कहना गलत है से ही बचाव पक्ष के द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में बताया है जिससे यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि इस विवेचक अमित कुमार दूबे द्वारा विवेचना के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गयी है। यही नहीं इस पी0डब्ल्यू0–4 ने यहां तक**

कह दिया है कि घटनास्थल नक्शा नजरी में दो मोटर साईकिल दिखाई गई है जबकि इस मामले के वादी/ चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्ल्यू0–1, पी0डब्ल्यू0–9 के द्वारा स्पष्ट रूप से सिर्फ एक मोटर साईकिल की बात कही गई है और यह भी इस बात को दर्शा रहा है कि इस मामले की कहानी में अनावश्यवक विचलन लाने की कोशिश विवेचक द्वारा की गई है। प्रत्यक्षतः पी०डब्ल्यू०–4 विवेचक अमित कुमार दूबे द्वारा अपने पदीय जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया है जो घोर आपत्तिजनक है

9.38 जहां तक **पी0डब्ल्यू0–9** सत्यावती के द्वारा हरिश के संबंध में उसके धारा 161 द0प्र0सं0 के बयान में ऐसा न कहे जाने कि वह हरिश को घटना के पहले से जानती थी उसने हरिश को बांसगाँव की डकैती में उसका नाम व फोटो अखबार में देखा था अंकित न हुआ होना इस बात को परिलक्षित नहीं कर रहा है कि यह पी0डब्ल्यू0–9 सत्यावती ने न्यायालय में असत्य कथन किया है क्योंकि ऐसा दर्शित हो रहा है कि उक्त पी0डब्ल्यू0–9 जिसकी एकमात्र पुत्री की मृत्यु कारित की गई हो के समक्ष ऐसा कोई ऑकेजन नहीं आया रहा होगा जिससे पुलिस को यह बताती कि उसने हरिश को ऐसे ऐसे तरीके से देखा था या पहचाना था इस तथ्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि हरिश नामजद अभियुक्त था।

9.39 पी0डब्ल्यू0–5 उपनिरीक्षक प्रभात सिंह भी इस मामले के शूरूआती विवेचक है। इनके द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा नजरी साथ ही एक अदद गमछा रंग छीटदार जिसपर खून के धब्बे थे साथ ही खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी घटनास्तल से बरामद किया था तथा उनके फर्द बरामदगी बनाया थे साथ ही उनके द्वारा घटनास्थल से एक अदद खोखा कारतूस पीतल का जिसके पेदें पर K.F. 65 अंकित था बरामद किया था तथा उसके संदर्भ में फर्द तैयार किया था साथ ही इस पी0डब्ल्यू0–5 ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया है कि उनके द्वारा दिनांक 22.08.2021 को वादी राजीव नयन सिंह के लोवर व टी–शर्ट जिसपर खून धब्बे लगे थे अपने कब्जे में लिया था और उसके संदर्भ में फर्द बनाया था। इस पी0डब्ल्यू0–5 ने घटनास्थल के नक्शा नजरी को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है जिसपर प्रदर्श क–9 डाला गया है। पी0डब्ल्यू0–5 ने उपरोक्त बरामद की गई सामग्री को प्रस्तुत किये जाने पर

न्यायालय के समक्ष साबित किया है। इस प्रकार से मुख्य रूप से इस पी0डब्ल्यू0–5 ने जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया उसके द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया और घटनास्थल से खून आलूदा और सादी मिट्‌टी बरामद की गई साथ ही एक पीतल का खोखा कारतूस जिसके पेंदें पर K.F. 65 अंकित था साथ ही घटनास्थल पर उन्हें छींटदार गमछा जिसपर खून लगा था जोकि इस मामले की मृतका था तथा लोवर और टी–शर्ट जोकि इस मामले के वादी/ पी0डब्ल्यू0–1 का था को बरामद किया था। इस प्रकार से यह न्यायालय इसी स्तर पर यहां अवधारित करती है कि इस मामले के चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्ल्यू0–1, पी0डब्ल्यू0–9 और पी0डब्ल्यू0–5 के द्वारा दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस मामले की मृतका काजल सिंह को गोली लगी थी क्योंकि घटनास्थल से खोखा मिला था और ऐसा ही साक्ष्य उक्त पी0डब्ल्यू0–9 और पी0डब्ल्यू0–9 ने दिया है।

9.40 पी0डब्ल्यू0–6 डॉक्टर जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले की मृतका काजल सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया था और यह साक्ष्य दिया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 25.08.2021 को समय 12.20 पी.एम. पर पोस्टमार्टम शुरू किया गया था जोकि 01 बजे खत्म किया गया। उक्त पी0डब्ल्यू0–6 ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि मृतका के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटें थी–

1. ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न घाव जोकि 20 C.M X 6 C.M पेट पर सामने उपस्थित था।
2. 4 C.M X 3 C.M पेट के दाहिने तरफ व चोट नम्बर 01 से 4 C.M किनारे था।
3. घाव ड्रेन बुन्ड जोकि एवडोमिन के बांयी तरफ इंजरी नम्बर 1 के 6C.M दूर था जोकि एमबेलीकल कोड पर था।

पेट को खोलने पर मृत्यु पूर्व चोटे के नीचे सूजन उपस्थित थी। छोटी आंत पर टांका लगा कर सीला गया था। एक धातु की गोली जोकि एक्स–रे में दिखाई पड़ रही थी उसको पेट के बांयी तरफ प्राप्त किया गया। **प्राप्त बुलेट गोली व एक्स–रे रिपोर्ट संबंधित शव को ले आने वाले सिपाही को सौप दिया गया।** उल्लेखनीय रूप से उक्त पी0डब्ल्यू0–6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य

दिया है कि मृतका की मृत्यु, मृत्यु के पूर्व गोली लगने से आयी चोट में संक्रमण के कारण हुई थी। उल्लेखनीय रूप से उक्त पी0डब्ल्यू0– ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मृतका काजल सिंह को आयी गोली की चोट दिनांक 20/21.08.2021 की दरम्यानी रात को आयी हो सकती है। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–6 से सर्फ अभियुक्त हरिश और राजन तिवारी की ओर से प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु उनके द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है जिससे कि उक्त चिकित्सक के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

9.41 न्यायालय इस स्तर पर यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि जब पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर से एक बुलेट डॉक्टर के द्वारा प्राप्त किया गया और उसे संबंधित पुलिस को दिया गया किन्तु आश्चर्यजनक रूप से पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज भी अभियोजन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह दर्शित हो रहा हो कि उक्त बुलेट के संबंध में विधि–विज्ञान प्रयोगशाल की जाँच की गई हो साथ ही साथ घटनास्थल से भी एक पीतल का बुलेट पी0डब्ल्यू0–5 विवेचक प्रभात सिंह द्वारा बरामद किया गया था उसके संबंध में भी कोई विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट पत्रावली उपलब्ध नहीं है जोकि स्पष्ट रूप से मामले की लचर विवेचना की ओर इशारा करता है।

9.42 पी0डब्ल्यू0–7 निरीक्षक संदीप कुमार सिंह इस मामले के चतुर्थ विवेचक है जिनके द्वारा इस मामले की विवेचना के दौरान पर्चा सं0 67 से लेकर पर्चा सं0 72 तक तैयार किया गया। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–7 ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि पर्चा नं0 67 दिनांक 02.08.2022 को मुकदमा उपरोक्त के वादी राजीव नयन सिंह व उनकी पत्नी सत्यावती देवी का मजीद बयान किता किया गया है तथा उक्त अभियोग से संबंधित, प्रकाश में आये अभियुक्त राजन तिवारी के संबंध में रिमाण्ड लेने का जिक्र है। उल्लेखनीय रूप से उक्त पी0डब्ल्यू0–7 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि इस मामले के अभियुक्त हरिश ने जेल में यह बयान दिया था कि अभियुक्त राजन तिवारी भी घटना में सम्मिलित था तथा उसने अभियुक्त को पहचाना था। यह न्यायालय यहां उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये इस तरह के बयान का साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है। उल्लेखनीय रूप से इस

पी0डब्ल्यू0–7 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त राजन तिवारी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप–पत्र संख्या–2 दिनांक 10.08.2022 को अभियुक्त राजन तिवारी के विरूद्ध धारा 302,323,504,452,307,394,120B भा0द0सं0 का दाखिल किया था।

9.43 उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–7** ने **अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि मजीद बयान अज्ञात अभियुक्त की पहचान के बाद अंकित किया गया था।** उल्लेखनीय रूप से यह मजीद बयान वादी मुकदमा व उसकी पत्नी के संबंध में है। **उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि अज्ञात अभियुक्त की पहचान के संबंध में वादी मुकदमा व उनकी पत्नी के द्वारा फोटो पहचान कराया गया था।**

9.44 इस न्यायालय द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये तीनों चक्षुदर्शी साक्षी एवं मुख्य रूप से पी०डब्ल्यू०–7 संदीप सिंह के साक्ष्य के सम्यक मूल्यांकन से मुख्य रूप से अभियुक्त राजन तिवारी की पहचान के संदर्भ में यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि,

> अभियुक्त की पहचान कैसे हो, इस संदर्भ में जो प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गये है उसके अनुसार किसी के फोटो से उसका अभियुक्त के रूप में पहचान किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट रोक नहीं है और ऐसे में यदि पुलिस, वादी (गवाह/पीड़ित) के द्वारा किसी फोटो के आधार पर अभियुक्त कि की गई पहचान को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता और विशेषकर तब जबकि पी0डब्ल्यू0–1 पीड़ित/ सूचनाकर्ता एवं उसकी पत्नी पी0डब्ल्यू0–9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में ही अभियुक्त राजन तिवारी की पहचान के संबंध में जो साक्ष्य दिया है वह स्पष्ट रूप से बचाव पक्ष/अभियुक्त राजन तिवारी के इन्सटान्स पर ही आया है जिससे कि उक्त गवाहों के इस अभियुक्त राजन तिवारी के संदर्भ में दिया गया पहचान संबंधी साक्ष्य और भी पुष्ट हो जाता है।

उल्लेखनीय रूप से पत्रावली पर अभियुक्त राजन तिवारी से संबंधित आरोप–पत्र के साथ इस मामले के सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह का शपथपत्र भी लगा है जिसमें स्पष्ट रूप से अभियुक्त राजन तिवारी पुत्र स्व० रामआशीष तिवारी निवासी ग्राम टाडा थाना बड़हलगंज का इस मामले के पाँचवे अभियुक्त के रूप में उल्लेख किया गया अर्थात् सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह ने अभियुक्त राजन तिवारी की पुलिस के द्वारा उक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही कर ली थी। उक्त आरोप–पत्र को पी०डब्ल्यू०–7 विवेचक संदीप सिंह के द्वारा साबित किया गया। उल्लेखनीय रूप से उक्त आरोप–पत्र के साथ अभियुक्त राजन तिवारी की तश्वीरें भी लगी हुई है।

9.45 इस वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के अखण्डित और विश्वसनीय साक्ष्य के सामने टेस्ट आईडेंटिफिकेशन परेड (टी.आई.पी.) न होना कानून घातक नहीं है। उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में सूचनाकर्ता पी०डब्ल्यू0–1 और उसकी पत्नी पी०डब्ल्यू०9 और अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्ल्यू०8 ने न्यायालय में आकर शपथ पर इस मामले के "अज्ञात व्यक्ति की पहचान की है" इसलिए टी.आई.पी. न होना अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करता। उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में बचाव पक्ष का यह तर्क कि आरोपी राजन तिवारी की पहचान (टी.आई.पी.) नहीं करायी गई है, इस वजह से खारिज हो जाता है क्योंकि इस वर्तमान मामले में चश्मदीद साक्षियों की गवाही अखण्डित (Unshaken in cross examination) रही है।

उल्लेखनीय रूप से इस मामले की घटना रात 11.30 बजे की है जिसमें उक्त गवाहों ने हमलावरों को बहुत करीब से (मार पीट और बेटी को गोली मारते वक्त) देखा है। ऐसे में यह स्वयं सिद्ध है कि ऐसे जघन्य अपराध जिसमें अपने बेटी की हत्या हुई हो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति में अपराधियों के चेहरे पीड़ित के दिमाग में छप जाते हैं। अतएव जब बचाव पक्ष उक्त गवाहों की गवाही को प्रतिपरीक्षा में झूठा साबित नहीं कर पाया है तब ऐसे में केवल तकनीकी आधार पर (टी.आई.पी.) न होने आरोपी को इस हेतु फायदा नहीं दिया जा सकता। उल्लेखनीय रूप से जब कोई पीड़ित किसी अज्ञात अपराधी को घटना

के बाद अखबार, टी०वी० या सोशल मीडिया पर किसी अन्य संदर्भ में देखता है और तुरंत पुलिस को सूचित करता है तो इसे एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया माना जाता है। उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में ट्रायल शुरू होने के बहुत पहले उक्त अभियुक्त राजन तिवारी के संदर्भ में सूचना, सूचनाकर्ता के द्वारा बहुत पहले ही विवेचक को दी गई थी, जिसकी पुष्टि विवेचक ने भी न्यायालय में की है फलस्वरूप यह दर्शित है कि पुलिस द्वारा किसी को भी फर्जी तरीके से फसाया गया हो ऐसा अवधारित नहीं किया जा सकता बल्कि संबंधित पुलिस के द्वारा गवाह की स्वतः पहचान के आधार पर पूरक आरोप–पत्र दाखिल किया गया है। इस प्रकार से यह न्यायालय यहां यह अवधारित करती है कि इस मामले में अभियोजन द्वारा समुचित तरीके से तीसरे अज्ञात व्यक्ति के रूप में जोकि घटना दिनांक और समय पर सूचनाकर्ता के घर में प्रवेश किये थे अभियुक्त राजन तिवारी ही था।

9.46 इस मामले के मुख्य दो गवाह जिन्हें चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है चूंकि पति–पत्नी है और मृतका के माता–पिता हैं अतएव ये दोनों इस घटना के प्राकृतिक (नेचुलर) गवाह है उन्हें हितबद्ध गवाह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विशेषकर तब जबकि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन यह साबित करने मे सफल रहा है कि घटना अर्द्धरात्रि के करीब का था और उक्त दोनों साक्षीगणों के घटनास्थल पर उपस्थिति अकाट्य रही है, घटनास्थल पर पीतल के खोखे का मिलना, मृतका के शव के पोस्टमार्टम में बुलेट का मिलना, घटनास्थल पी०आर०बी० और एम्बुलेंस का रात्रि प्रहर ही तत्काल आना; इस वर्तमान मामले के इस प्रकार के तथ्य है जोकि उक्त दोनों साक्षीगणों द्वारा दिये गये साक्ष्य को प्रभावकारी ढंग से स्थापित कर रहा है। जहां तक इन दोनों के द्वारा अभियुक्त सुबाष और जयन्ती के संदर्भ में दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न विसंगति का प्रश्न है यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख करना आवश्यक समझती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Ugar Ahir v. State of Bihar**[1], में अवधारित किया है कि :

*"7. The maxim **falsus in uno, falsu in omnibus** (false in one thing, false in everything) is neither a sound rule of law nor a rule of*

1 **AIR 1965 SC 277**

> *practice.* ***Hardly one comes across a witness whose evidence does not contain a grain of untruth or at any rate exaggerations, embroideries or embellishments.*** *It is, therefore, the duty of the court to scrutinize the evidence carefully and, in terms of the felicitous metaphor, separate the grain from the chaff. But, it cannot obviously disbelieve the substratum of the prosecution case or the material parts of the evidence and reconstruct a story of its own out of the rest."*

9.47 अतः भले ही अभियुक्त सुबाष और जयन्ती के संदर्भ में दिये गये साक्ष्य न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं पाया गया है तथापि उक्त सिद्धांत के दृष्टिगत उक्त दोनों साक्षीगणों द्वारा दिये गये साक्ष्य के शेष अंश जो अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट हुए है विश्वसनीय हैं।

9.48 उक्त विश्लेषण के दृष्टिगत जहां तक अभियुक्त सुबाष और जयन्ती का इस मामले में उनकी संलिप्तता का प्रश्न है मुख्य रूप से उनके विरूद्ध आपराधिक षड़यंत्र कारित करते हुए अन्य अभियुक्तगणों को इस मामले की मृतका की मृत्यु कारित करने में सम्मिलित होना था। उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में सूचनाकर्ता पी०डब्ल्यू०–1 का यह कहना है कि उसने सुबाष और जयन्ती जोकि इस मामले के मुख्य किरदार विजय प्रजापति जिसकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो चुकी है के माता पिता है और इन्होंने उन्हें घटना दिनांक और समय पर घटनास्थल के पास की गली से भागते हुए देखा था, मात्र इतने से उक्त दोनों को धारा 302 भा०द०सं० का अपराधी या दोषी नहीं कहा जा सकता। इस मामले की कथानक जोकि साबित हो चुका है के अनुसार रात 11.30 बजे दिनांक 20.08.2021 को हवाई फायरिंग करते हुए इस मामले के तीनों मुख्य अभियुक्तगण भाग रहे थे, हवाई फायरिंग की आवाज सुनकर किसी का भी डर कर भागना एक स्वाभाविक मानवीय व्यवहार हो सकता है विशेषकर तब जबकि सुबाष और जयन्ती स्वीकृत रूप से सूचनाकर्ता के मोहल्ले के ही निवासी थे ऐसे में जब तक यह न साबित हो कि उक्त सुबाष और जयन्ती हमलावरों को संरक्षण दे रहे थे या उनकी मदद कर रहे थे, तब तक केवल भागने की प्रक्रिया को साजिश का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से अभियोजन कथानक में यह आया है कि अभियुक्त सुबाष का सूचनाकर्ता पी०डब्ल्यू०–1 से पैसे का लेनदेन था और इस वजह से सुबाष और जयन्ती का सूचनाकर्ता और उसकी पत्नी के साथ अनबन थी ऐसे में उक्त

अनबन अभियुक्त सुबाष और जयन्ती के सापेक्ष उद्देश्य (मोटिव) का सृजन कर सकता है लेकिन यह खुद में अपराध का सबूत नहीं है। महज दुश्मनी या गुस्से के आधार पर किसी को हत्या की साजिश का दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसका अपराध से सीधा संबंध स्थापित न हो साथ ही यह विधि का स्थापित सिद्धांत है आपराधिक साजिश दोषसिद्ध करने के लिए ठोस और प्रत्यक्ष या ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिससे साजिश पूरी तरह स्पष्ट हो। केवल संदेह, चाहे वह कितना भी गहरा हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता। उल्लेखनीय रूप से पी०डब्ल्यू०–1 सूचनाकर्ता एवं पी०डब्ल्यू०–9 जोकि सूचनाकर्ता की पत्नी है ने न्यायालय में यह साक्ष्य दिया है कि उनका सुबाष के पास 13,000/– हजार रूपया बकाया था जिसे अदा करने में सुबाष आनाकानी कर रहा था साथ ही उक्त गवाहों के द्वारा दिनांक 15.08.2021 की घटना का जिक्र अपने साक्ष्य में किया है जिसमें जयन्ती के द्वारा सूचनाकर्ता के साथ गाली गलौज करने की बात कही गई है। उल्लेखनीय रूप से उक्त घटनाक्रम को सत्य भी मान लिया जाये तब भी उन घटनाक्रमों को इस वर्तमान घटनाक्रम जोकि दिनांक 20.08.2021 की बतायी गई है को संयुक्त करते हुए अभियुक्त सुबाष और जयन्ती को धारा 504 भा०द०सं० या 323 भा०द०सं० के तहत विचारगत नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय रूप से किसी प्रकार के आपराधिक साजिश जैसा कि भा०द०सं० की धारा 120B में प्रावधानित है को साबित करने हेतु सर्वप्रमुख तत्व मस्तिष्क का मिलन (मीटिंग ऑफ माइंड्स) और पूर्व नियोजित योजना (प्रायर कंसर्ट) को साबित किया जाना अति आवश्यक है। इस वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना अनिवार्य था कि घटना से पहले सुबाष, जयन्ती और उक्त तीन हमलावरों के बीच कोई गुप्त बैठक हुई थी या अपराध करने की कोई योजना बनी थी। चूंकि पत्रावली पर ऐसी किसी बातचीत, कॉल डिटेलस (सी०डी०आर०) या गवाहों का कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए इस वर्तमान मामले में अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती पर साजिश का आरोप केवल एक अनुमान बनकर रह जाता है। अतएव यह न्यायालय अभियोजन कथानक जिसके आधार पर अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती के सापेक्ष आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34, 323 सपठित34, 307 सपठित34, 504, 452 सपठित34, 394 सपठित34 एवं 120B भा०द०सं० के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण सुबाष और जयन्ती उक्त आरोपों हेतु दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

9.49 अब यह न्यायालय इस वर्तमान मामले के संदर्भ में धारा 34 भा०द०सं० के निहित सिद्धांत की प्रयोज्यता के संदर्भ में उल्लेखनीय किया जाना आवश्यक समझती है कि प्रिवी कांसिल ने Barendra Kumar Ghosh v. King Emperor[2] में अवधारित किया है कि–

> *"......the words of Section 34 are not to be* ***eviscerated*** *by reading them in this exceedingly limited sense. By Section 33 a criminal act in Section 34 includes a series of acts and, further, 'act' includes omissions to act, for example, an omission to interfere in order to prevent a murder being done before one's very eyes. By Section 37, when any offence is committed by means of several acts whoever intentionally co-operates in the commission of that offence by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offence. Even if the appellant did nothing as he stood outside the door, it is to be remembered that in crimes as in other things 'they also serve who only stand and wait'. By Section 38, when several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. Read together, these sections are reasonably plain.* ***Section 34 deals with the doing of separate acts, similar or diverse, by several persons; if all are done in furtherance of a common intention, each person is liable for the result of them all, as if he had done them himself, for 'that act' and 'the act' in the latter part of the section must include the whole action covered by 'a criminal act' in the first part, because they refer to it.*** *Section 37 provides that, when several acts are done so as to result together in the commission of an offence, the doing of any one of them, with an intention to co-operate in the offence (which may not be the same as an intention common to all), makes the actor liable to be punished for the commission of the offence. Section 38 provides for different punishments for different offences as an alternative to one punishment for one offence, whether the persons engaged or concerned in the commission of a criminal act are set in motion by the one intention or by the other."*

9.50 उक्त स्थापित सिद्धांत के दृष्टिगत यह न्यायालय मुख्य रूप से अभियुक्त हरिश के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा रखे गये इस तर्क को पूर्ण रूप से बलहीन ठहराती है कि हरिश जिसने कि केवल एक थप्पड़ सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह को मारा था वह सिर्फ उस हेतु ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है उसे सामान्य आशय के अग्रसरण के सिद्धांत के तहत उसपर आक्षेपित हत्या के आरोप हेतु दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

2 AIR 1925 PC 1

9.51 उल्लेखनीय रूप से न्यायालय बचाव पक्ष की इस दलील में कोई बल नहीं पाती है कि जिसमें कि उनके द्वारा यह तर्क रखा गया कि इस मामले में मृतका से छीना गया मोबाईल पुलिस द्वारा जब्त किया गया है न ही उसका कोई सी०डी०आर० बरामद किया गया है क्योंकि इस मामले से संबंधित घटना में सूचनाकर्ता उसकी पत्नी और उनकी एकमात्र सुपुत्री की उपस्थिति विश्वसनीय रूप से साबित है। पुत्री को गोली मारी गई यह भी साबित है ऐसे में मोबाईल जिससे कथित रूप से मृतका के द्वारा वीडियो बनाया जाना बताया जा रहा है का बरामद न होने से अभियोजन कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां इस मामले में मृतका की मोबाईल का सी०डी०आर० की बरामदगी किये जाने या न किये जाने का भी कोई प्रभाव अभियोजन कथानक की सत्यता पर नहीं पड़ता अतएव यह न्यायालय उक्त तर्क को दृष्टिगत किये जाने हेतु यथेष्ठ नहीं पाती है।

9.52 उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में अभियुक्त हरिश के पास से कथित रूप से एक तमंचा और जिन्दा कारतूस की बरामदगी होना बताया गया है और उस संदर्भ में एक अलग से प्राथमिकी अंतर्गत **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** दर्ज हुई है और एक सत्रवाद सं० 2537/2023 अस्तित्व में आया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले के संदर्भ में केवल पी०डब्ल्यू०-4 अमित कुमार दूबे निरीक्षक ने न्यायालय में साक्ष्य दिया है। उनके द्वारा उक्त से संबंधित फर्द बरामदगी को साबित किया गया है साथ ही न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तमंचा और कारतूस को भी साबित किया गया है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध इस मामले से संबंधित नक्शा नजरी को तथा डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई अभियोजन की स्वीकृति प्रपत्र को भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है ऐसे में उक्त मामले से संबंधित आरोप के संदर्भ में अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ नहीं ठहराया जा सकता अतएव उक्त के हेतु अभियुक्त हरिश दोषमुक्ति का अधिकारी है।

9.53 उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में जब मृतका को गोली मारी गई थी वह उस समय तत्काल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई थी वह करीब 4 दिन ईलाजरत रही थी अतएव पत्रावली पर धारा 307/34 भा०द०सं० का भी आरोप अभियुक्तगणों के सापेक्ष विरचित हुआ था। पत्रावली पर ऐसा तथ्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगणों द्वारा कोई ऐसा कृत किया गया हो जोकि सूचनाकर्ता

या उसकी पत्नी की हत्या के प्रयास में किया गया कृत दर्शित हो रहा हो। और तब जबकि स्वीकृत रूप से इस मामले में केवल एक गोली चलाई गई थी वह मृतका को लगी थी साथ ही सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह को अभियुक्तगणों द्वारा मारना पीटना बताया गया है और वह मार पीट उस तीव्रता की नहीं थी जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती हो। ऐसे में अभियुक्तगणों को हत्या के प्रयास के आरोप हेतु दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने जिस टारगेट पर गोली चलाई थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और इस संदर्भ में उनके विरूद्ध हत्या के अपराध का आरोप विरचित हो चुका है अतएव यह न्यायालय अभियुक्तगण हरिश और राजन तिवारी के विरूद्ध विरचित आरोप अपराध अन्तर्गत धारा 307 सपठित 34 भा०द०सं० को विचारित किया जाना औचित्यहीन समझती है। साथ ही साथ अभियोजन द्वारा आपराधिक षड़यंत्र जिसे हेतु सजा का प्रावधान धारा 120B भा०द०सं० में दिया गया है के अपराध को इस मामले के अभियुक्तगणों के सापेक्ष समुचित साक्ष्य द्वारा साबित करने में असफल रही है।

9.54 यह न्यायालय अपने निर्णय लेखन को अपने इस निष्कर्ष के साथ समाप्त करती है कि अभियोजन ने अपने कथानक जिसके आधार पर आरोप अन्तर्गत **धारा 302 सपठित 34, 323 सपठित 34, 504, 452 सपठित 34, 394 सपठित 34** भा०द०सं० अभियुक्तगण हरिश और राजन तिवारी के विरूद्ध विरचित हुए थे को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है फलस्वरूप यह न्यायालय उक्त हेतु अभियुक्तगण हरिश और राजन तिवारी को दोषसिद्ध और तद्नुसार दोषी करार करती है।

10. तद्नुसार इस वर्तमान मामले के सभी विनिश्चयन बिन्दू जो कि इस निर्णय के **प्रस्तर संख्या–7** में अंकित है निर्णीत किया जाता है।

11. पत्रावली आज ही दिनांक **07.08.2026** को पुनः भोजनावकाश बाद 02:00 बजे सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु नियत की जाती है।

दिनांक– 07.08.2026 **(नितिन कुमार ठाकुर)**

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

पुनः भोजनावकाश पश्चात् 02:00 बजे

1. दोनों ही दोषसिद्धगण **1. हरिश 2. राजन तिवारी** एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रिमिनल) को दोषसिद्धगण को दिये जाने वाले दण्ड के प्रश्न पर बारी– बारी से सुना गया।

2. दोषसिद्धगण ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए न्यायालय से उन्हें कम–से–कम सजा दिये जाने की याचना की गयी। दोनों ही दोषसिद्धगण ने बारी–बारी से न्यायालय के समक्ष अनुन्य किया कि वे दोनों अपने परिवार के एकमात्र पालनहार है और ऐसे में यदि उन्हें अधिक अवधि के जेल की सजा दी गई, उनका पूरा परिवार भूखमरी का शिकार हो जायेगा साथ ही वे अभी युवा है और यदि उन्हें लम्बे समय तक की जेल की सजा दी गई तब उनका पूरा जीवन तहस नहस हो जायेगा अतएव उन्हें कम–से–कम प्रावधानित सजा दी जाये ताकि वे जेल से छूटकर देश और समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो सकें। दोषसिद्धगण के द्वारा किये गये अभिकथन में अग्रेतर जोड़ते हुए उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया कि दोषसिद्धगण के विरूद्ध पुलिस द्वारा भले ही विभिन्न अपराधों को दिखाया गया हो किन्तु दोषसिद्धगण की किसी भी मामले में दोषसिद्धी नहीं हुई। अतएव इस तथ्य को भी दोषसिद्धगण को सजा पर विचार करते वक्त दृष्टिगत रखा जाना न्याय की माँग है अस्तु उन्हें कम–से–कम सजा दिया जाये।

3. उक्त के विपरीत विद्वान विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रिमिनल) ने दोषसिद्धगण को अधिकतम प्रावधानित सजा दिये जाने का आग्रह किया और इस संदर्भ में उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया कि दोषसिद्धगणों द्वारा एक 15–16 साल की बच्ची की जघन्य तरीके से हत्या की गई है जो अपने माता–पिता की एकमात्र संतान थी और इस प्रकार से दोषसिद्धगणों द्वारा मृतका के माता पिता को जीवन भर का शोक दे दिया यही नहीं इस मामले का मुख्य किरदार विजय इस मामले के सूचनाकर्ता से पूर्व परिचित था और इस मामले में यह साबित हुआ है कि विजय, हरिश और राजन तिवारी ने मिलकर अपराध कारित किया है ऐसे में जब उक्त विजय को यह पता था कि सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह की एकमात्र संतान है तब वैसे में यह पूर्व धारणा की

जानी चाहिए कि हरिश और राजन तिवारी को भी यह पता था सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह को एकमात्र संतान है और ऐसे में जो अपराध उक्त तीनों द्वारा कारित किया गया उसमें सूचनाकर्ता राजीव नयन सिंह का इस तरीके से पूरा घर उजाड़ दिया यही नहीं उक्त दोनों दोषसिद्धगणों ने सिर्फ हत्या का ही अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उक्त अपराध कारित करने के संव्यवहार में और भी अपराध कारित किये हैं जिससे उनके द्वारा कारित अपराध और गुरूतर हो जाता है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल द्वारा न्यायालय के समक्ष यह भी अभिकथित किया गया कि जिस प्रकार का कृत दोषसिद्धगणों ने अर्द्धरात्रि पहर कारित किया है वह उनके आपराधिक चरित्र को भी पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है जोकि लोक व्यवस्था के संदर्भ में भी बहुत ही चिन्ता जनक है अतएव उक्त दोनों दोषसिद्धगणों को हत्या के अपराध कारित करने हेतु मृत्यदण्ड की सजा दी जाये ताकि समाज चैन की सांस ले सके और उनके द्वारा कारित अपराध का कुछ हद तक सापेक्ष रूप से समंजन हो सके। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने न्यायालय से यह भी आग्रह किया कि दोषसिद्धगणों को उनके द्वारा कारित अन्य अपराध के संदर्भ में भी प्रावधानित अधिकतम दण्ड की सजा दी जाये। उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में पीड़ित सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि जिस सजा की मांग विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल के द्वारा की गई उसके अतिरिक्त दोषसिद्धगण पर अधिकतम अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये और उक्त अर्थदण्ड को पीड़ित सूचनाकर्ता को प्रतिकर के रूप में दिलवाया जाये ताकि कुछ हद तक न्याय की मंशा पूर्ण हो सके।

4. दोषसिद्धगण, उनके विद्वान अधिवक्त तथा अभियोजन को दोषसिद्धगण को दिये जाने वाले दण्ड पर रखे गये उनके अभिकथनों को दृष्टिगत किया गया साथ ही पत्रावली पर उपस्थित तथ्य और साक्ष्य को विशेषकर पुनः गहनता से उक्त दोषसिद्धगण के संदर्भ में सजा के निर्धारण हेतु विचारगत किया गया। **बचन सिंह**[3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा स्थापित सिद्धांत के दृष्टिगत इस वर्तमान मामले की तथ्य और परिस्थितियाँ दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध को विरलतम से विरल अपराध की श्रेणी में रखे जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। यह न्यायालय यहां यह उल्लिखित करना आवश्यक समझती है कि स्वीकृत रूप से इस मामले के

3 एआईआर 1980 एससी 898

सूचनाकर्ता/पीड़ित को एकमात्र संतान थी जिसकी इस मामले के दोषसिद्धगण द्वारा उसकी अल्प आयु में ही जीवन लीला समाप्त कर दी गई जिसकी किसी भी रूप से भरपाई नहीं की जा सकती तथापित यह न्यायालय दोषसिद्धगण पर यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना और उसे सूचनाकर्ता/पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिया जाना न्यायसम्मत समझती है। फलस्वरूप यह न्यायालय दोषसिद्धगण को उसकी **पृष्ठभूमि, उम्र और इस मामले के चारों ओर की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि** के दृष्टिगत मृत्युदण्ड की सजा के दिये जाने के विचारण हेतु तत्पर नहीं है। अतएव यह न्यायालय इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को समग्रता से दृष्टिगत रखते हुए यह पाती है कि इस मामले में यह न्यायालय इस मामले के दोनों ही दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा– **302 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **आजीवन कारावास** की सजा और **1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **01 (एक) वर्ष** सश्रम कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। दोनों ही दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा– **323 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **01 (एक) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **1,000/– (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **01 (एक) महीना** सश्रम कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। दोनों ही दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा– **504 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **10,000/– (दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **03 (तीन) महीना** सश्रम कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। दोनों ही दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा– **452 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **07 (सात) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **20,000/– (बीस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **06 (छः) महीना** सश्रम कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। दोनों ही दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा– **394 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु 10 (दस) वर्ष

सश्रम कारावास की सजा और **30,000/– (तीस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **06 (छः) महीना** सश्रम कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है।

आदेश

A. <u>सत्रवाद सं0 222/2022</u>

1. दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल को अपराध अन्तर्गत धारा– **302 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **आजीवन कारावास** की सजा और **1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध को अग्रेतर **01 (एक) वर्ष** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

2. दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल को अपराध अन्तर्गत धारा– **323 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **01 (एक) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **1,000/– (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **01 (एक) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

3. दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल को अपराध अन्तर्गत धारा– **504 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **10,000/– (दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **03 (तीन) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

4. दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल को अपराध अन्तर्गत धारा– **452 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **07 (सात) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **20,000/– (बीस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **06 (छः) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

5. दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल को अपराध अन्तर्गत धारा– **394 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु 10 (दस) वर्ष सश्रम कारावास की सजा और **30,000/– (तीस**

हजार) रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **06 (छः) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

6. दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल वर्तमान में जमानत पर है अतएव उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है साथ ही उनमें प्रत्येक के दोनों प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

7. दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल के द्वारा विवेचना, इंक्वायरी या परीक्षण के दौरान कारावास की अवधि को उन्हें दी गयी सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

8. दोषसिद्ध को दी गयी सभी सजायें साथ– साथ चलेंगी।

9. उक्त मामले से संबंधित विवेचना या केस कार्यवाही के या आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या दौरान बरामद या जब्त की गयी सामग्री यदि कोई हो तो अपील हेतु प्रावधानित समय के बीत जाने पर यदि अपील न प्रस्तुत किया गया हो विनष्ट किया जाये तथा अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में उक्त सामग्री को माननीय अपीलीय न्यायालय के दिशा–निर्देश के अनुसार निस्तारित किया जाये।

10. अभियुक्तगण **1. सुबाष 2. जयन्ती देवी** को आरोप अपराध अन्तर्गत धारा **302/34, 323/34, 307/34, 504, 452/34, 394/34, 120B भा0द0सं0** में **दोषमुक्तगण** किया जाता है और यह न्यायालय आदेशित करती है कि उनकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी जाये।

11. अभियुक्तगण **1. सुबाष 2. जयन्ती देवी** वर्तमान में जमानत पर हैं अतएव उनके (प्रत्येक) व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है साथ ही उनमें प्रत्येक के दोनों प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

12. धारा 437 ए सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अनुपालन न किये जाने की दशा में दोषमुक्तगण **1. सुबाष 2. जयन्ती देवी** (प्रत्येक) को यह आदेशित किया जाता है कि दोषमुक्तगण (प्रत्येक) **20,000/– (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र** व समान राशि के दो प्रतिभू आदेश होने के 7 दिनों के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे।

13. इस निर्णय के फाईडिंग और सेनटेन्स (सजा) को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को अग्रसारित किया जाये।

14. इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध हरिश पुत्र इन्द्रपाल को निःशुल्क प्रदान की जाये।

15. यह आदेशित किया जाता है कि दोषसिद्ध पर सभी मदों में अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि इस मामले के पीड़ित राजीव नयन सिंह जो मृतका के पिता है को दोषसिद्ध के द्वारा अदा किये जाने पर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रतिकर के रूप में उन्हें अदा की जाये।

16. इस निर्णय की प्रति सत्रवाद सं 1559/2022 और सत्रवाद सं0 2537/2023 की पत्रावली पर रखा जाये।

B. सत्रवाद सं0 1559/2022

1. दोषसिद्ध **राजन तिवारी** को अपराध अन्तर्गत धारा– **302 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **आजीवन कारावास** की सजा और **1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध को अग्रेतर **01 (एक) वर्ष** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

2. दोषसिद्ध **राजन तिवारी** को अपराध अन्तर्गत धारा– **323 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **01 (एक) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **1,000/– (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **01 (एक) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

3. दोषसिद्ध **राजन तिवारी** को अपराध अन्तर्गत धारा– **504 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **10,000/– (दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **03 (तीन) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

4. दोषसिद्ध **राजन तिवारी** को अपराध अन्तर्गत धारा– **452 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **07 (सात) वर्ष सश्रम कारावास** की सजा और **20,000/– (बीस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **06 (छः) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

5. दोषसिद्ध **राजन तिवारी** को अपराध अन्तर्गत धारा– **394 सपठित 34 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु 10 (दस) वर्ष सश्रम कारावास की सजा और **30,000/– (तीस हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दी जाती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धगण को अग्रेतर **06 (छः) महीना** सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

6. दोषसिद्ध **राजन तिवारी** वर्तमान में जमानत पर है अतएव उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है साथ ही उनमें प्रत्येक के दोनों प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

7. दोषसिद्ध **राजन तिवारी** के द्वारा विवेचना, इंक्वायरी या परीक्षण के दौरान कारावास की अवधि को उन्हें दी गयी सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

8. दोषसिद्ध को दी गयी सभी सजायें साथ– साथ चलेंगी।

9. उक्त मामले से संबंधित विवेचना या केस कार्यवाही के या आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या दौरान बरामद या जब्त की गयी सामग्री यदि कोई हो तो अपील हेतु प्रावधानित समय के बीत जाने पर यदि अपील न प्रस्तुत किया गया हो विनष्ट किया जाये तथा अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में उक्त सामग्री को माननीय अपीलीय न्यायालय के दिशा–निर्देश के अनुसार निस्तारित किया जाये।

10. इस निर्णय के फाईडिंग और सेनटेन्स (सजा) को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को अग्रसारित किया जाये।

11. इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध **राजन तिवारी** को निःशुल्क प्रदान की जाये।

12. यह आदेशित किया जाता है कि दोषसिद्ध पर सभी मदों में अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि इस मामले के पीड़ित राजीव नयन सिंह जो मृतका के पिता है को दोषसिद्ध के द्वारा अदा किये जाने पर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रतिकर के रूप में उन्हें अदा की जाये।

C. सत्रवाद सं0 2537/2023

1. अभियुक्त **हरिश पुत्र इन्द्रपाल** को आरोप अपराध अन्तर्गत धारा **3/25 आयुध अधिनियम** में **दोषमुक्त** किया जाता है।

2. अभियुक्त **हरिश पुत्र इन्द्रपाल** वर्तमान में जमानत पर है अतएव उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है साथ ही उनमें प्रत्येक के दोनों प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3. धारा 437 ए सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अनुपालन न किये जाने की दशा में दोषमुक्त हरिश पुत्र इन्द्रपाल को यह आदेशित किया जाता है कि दोषमुक्त **20,000/– (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र** व समान राशि के दो प्रतिभू आदेश होने के 7 दिनों के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे।

4. उक्त मामले से संबंधित विवेचना या केस कार्यवाही के या आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या दौरान बरामद या जब्त की गयी सामग्री यदि कोई हो तो अपील हेतु प्रावधानित समय के बीत जाने पर यदि अपील न प्रस्तुत किया गया हो विनष्ट किया जाये तथा अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में उक्त सामग्री को माननीय अपीलीय न्यायालय के दिशा–निर्देश के अनुसार निस्तारित किया जाये।

5. इस निर्णय के फाईडिंग और सेनटेन्स (सजा) को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को अग्रसारित किया जाये।

दिनांक– 07.08.2026

(नितिन कुमार ठाकुर)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

मेरे उद्बोधन पर आशुलिपिक अहसान अली द्वारा उक्त निर्णय को टंकित किया गया और यह निर्णय जोकि मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है खुले न्यायालय में आज **दिनांक–07.08.2026** को उद्घोषित किया गया।

इन तीनों सत्रवाद की पत्रावलियाँ अभिलेखागार को संदर्भित की जाए।

दिनांक– 07.08.2026

(नितिन कुमार ठाकुर)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।